तृतीय माला, खण्ड ११—अंक २२

गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९६२
१५ अग्रहायण, १८८४ (शाक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
P-75
22
Acc. No. ....
15-1-62 .....

(खण्ड ११ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय ी ोर ध्यान दिलाना

मिट्टी के तेल की कथित कमी १८८३–८६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८६–८७

राज्य सभा से सन्देश १८८८

पूर्वी पंजाब तथा वैद्य और हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . १८८८

कथित जासूस की गिरफ्तारी

श्री लाल बहादुर शास्त्री १८८८–८६

श्रम जीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १८८६–१६१४

श्री कृ० ल० मोरे १८८६

श्री कोया १८८६–६०

श्री कुं० कृ० वर्मा १८६०–६२

श्रीमती सरोजिनी महिषी १८६२

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी १८६२–६३

श्री भागवत झा आजाद १८६३–६४

श्री जोकीम आल्वा १८६४

श्रीमती सावित्री निगम १८६४

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् १८६४–१६००

खंड २ से १० और १ . . . . १६००–१४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६००–१४

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् . . . १६०१–१४

व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबन्ध) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १६१४–३४

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् १६१४

श्रीमती विमला देवी १६१४–१५

डा० गायतोंडे १६१५

श्री हरि विष्णु कामत १६१५

[शेष मुख्य पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९६२

१५ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मिट्टी के तेल की कथित कमी

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): नियम १९७ के अधीन मैं खान और ईंधन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस के बारे में एक वक्तव्य दें :—

'दिल्ली तथा अन्य स्थानों में मिट्टी के तेल की कथित कमी, सट्टेबाजी तथा चोर-बाज़ारी'

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : सरकार ने दिल्ली में मिट्टी के तेल की कमी की शिकायतों के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखा होगा। नगर के मुख्य डिपों में पर्याप्त भांडार है और सच यह है कि सामान्य स्थिति से अधिक है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में मिट्टी के तेल के वितरण के लिये कोई कमी नहीं है। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की स्थिति अंशतः इसलिए है कि कम्पनियों को जनता को संभरण की क्षमता में इसलिये कमी करनी पड़ी है कि उन्हें प्रतिरक्षा के लिये ए० टी० एफ० का भांडार बनाना है तथा सट्टेबाजी के लिए कुछ लोगों ने इसको इकट्ठा कर लिया है तथा अंशतः इसलिये कि कुछ समाज विरोधी वितरकों द्वारा अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करना है। मिट्टी के तेल की कमी का एक कारण यह भी है कि दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बिक्री कर की दरों में अन्तर है। जबकि दिल्ली से इस पर कोई बिक्री कर नहीं है उत्तर प्रदेश में ७ प्रतिशत बिक्री कर है। इसलिए कुछ लोग दिल्ली में मिट्टी का तेल उत्तर प्रदेश ले जाते हैं। अब दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने संघ क्षेत्र से बाहर मिट्टी के तेल को ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का आर्डर जारी कर दिया है। ऐसा विचार है कि मिट्टी के तेल की सट्टे-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

बाज़ी को तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने को अपराध घोषित कर दिया जाये। दिल्ली प्रशासन अपराधी वितरकों को पकड़ने की कार्यवाही करेगी और कठोर दण्ड देगी। अतिरिक्त खुदरा दुकानें पर्याप्त संख्या में खोलने का विचार है जिस से निर्धारित मूल्य पर बोतलों में मिट्टी का तेल बिकेगा। इस व्यवस्था से उपभोक्ता कंट्रोल मूल्य पर अपनी अपेक्षित मांग को पूरा कर सकेंगे।

देश में मिट्टी के तेल का उत्पादन कम होता है और इसीलिए इस का आयात होता है। हम आयात तो कम नहीं कर रहे हैं परन्तु यदि इस की खपत कम हो जाये तो विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। मिट्टी के तेल का अंशतः खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने कोयले का काफी बड़ा भांडार बना लिया है और इस से जनता खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल के बजाय कोयले का उपयोग कर सकती है। जबकि हम ने देश की मांग पूरा करने के लिये पर्याप्त भांडार बना लिया है और इसको और बड़ा बना रहे हैं। परन्तु सरकार की जनता से अपील है कि मिट्टी का तेल उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि नितांत आवश्यक हो।

उत्तर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में भी मिट्टी के तेल की कमी के समाचार मिले हैं। यह कमी इसलिए हुई है क्योंकि रेलवे पर प्रतिरक्षा सामानों का आवागमन हो रहा है। स्थिति का अब हल निकाल लिया गया है और इन क्षेत्रों में भी स्थिति सुधर गई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को यह बताया गया है कि मिट्टी के तेल की जो बोतल दिल्ली में २८ नये पैसे में बिक रही थी वह अब ५६ नये पैसे में बिक रही है?

†**श्री हजरनवीस** : ऐसे समाचार हैं और कार्यवाही की जायेगी कि मिट्टी का तेल कंट्रोल मूल्य पर मिलता रहे।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अमृतसर के एक व्यापारी को पन्द्रह दिन की सजा दी है जोकि दुगुने दाम पर मिट्टी का तेल बेच रहा था। दिल्ली में भी दुगुने दाम पर मिट्टी का तेल बिक रहा है तो क्या यहां ऐसे लोगों के खिलाफ डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के मातहत कार्रवाई की जायेगी?

श्री हजर नवीस : उन के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जायेगी।

श्री बागड़ी : यहां पर मिट्टी के तेल की कीमत जो २८ न० पै० थी वह ५६ न० पै० तक बढ़ी। इस दौरान में उन ब्लैक मार्केटिअर्स के खिलाफ गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिये था जिन्हों ने तेल की कीमत बढ़ाई। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या नहीं और इस कानून की तहत दिल्ली में कोई गिरफ्तारी की गई है या नहीं। अगर नहीं, तो इस की क्या वजह है और उन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

श्री हजरनवीस : अगर इस के बारे में किसी जगह शिकायत की गई होगी तो जरूर उस की तहकीकात की गई होगी।

एक माननीय सदस्य : की गई है या नहीं?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई इत्तला है कि इस जुर्म में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, या किसी को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री हजरनवीस : अगर कहीं पर कानून के खिलाफ काम किया गया है तो उस के बारे में रिपोर्ट की जानी चाहिये . .

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य सवाल साफ तौर पर करते हैं तो उस जवाब को भी उसी के अनुसार होना चाहिये । सवाल यह है कि किसी के बखिलाफ कोई कार्रवाई आज तक की गई है या नहीं ।

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो तीन दिनों में यह मालूम हुआ है कि जगह जगह लोग महंगा मिट्टी का तेल बेच रहे हैं और इस की बड़ी सख्त डिमान्ड हो गई है । जब दिल्ली के चीफ कमिश्नर से इस मामले में तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि कुछ डीलर्स और डिस्ट्रिब्यूटर्स महंगा तेल बेच रहे हैं । उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है और मुझे उम्मीद है उन में से दो चार जरूर पकड़े जायेंगे तीन चार दिनों में । मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे पास सबूत आ गया, उन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : कल अखबार में एक पिक्चर छपी है जिस से मालूम होता था कि एक एक दुकान के सामने १००, १०० आदमियों की भीड़ है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या तेल की शार्टेज है या कम तेल सप्लाई हो रहा है । क्या आप की तरफ से पूरा तेल दिया गया है ?

श्री के० दे० मालवीय : जैसा बयान में कहा गया है आम तौर पर तेल की शार्टेज बिल्कुल नहीं है। आम तौर पर जितना तेल रोज रहा करता है दिल्ली में, उससे ज्यादा स्टाक है। लेकिन चूंकि महीने का पहला हफ्ता है और लोगों के पास पैसा ज्यादा है इस लिये वे स्टाक करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा तेल अपने पास रखना चाहते हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह ऐसा न करे। ज्यादा तेल घर में रखने से कोई फायदा नहीं है । उस पर फारेन एक्सचेंज भी खर्च किया जाता है। इसलिये अगर वे ज्यादा मांगेंगे तो हम दे नहीं सकेंगे और उनको तकलीफ होगी आज कल की हालत में।

दूसरी बात यह भी सही है कि जब ज्यादा मांग हो गई तो जो डीलर्स हैं उन्होंने भी मुनाफाखोरी शुरू की। इसके बारे में तहकीकात हो रही है और मैं समझता हूं जो लोग इस तरह की मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ जैसे ही सुबूत मिल गया, उन पर मुकदमे चलाये जायेंगे और बहुत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि निकट भविष्य में इसकी कोई कमी नहीं रह जायेगी । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे इस वस्तु की विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कमी न रहे ।

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं समझता हूं कि सबसे प्रभावोत्पादक कार्यवाही यह होगी कि सभी सदस्य जनता से अपील करें कि जितना संभव हो सके उतना मिट्टी का तेल कम इस्तेमाल करें जिससे वितरकों तथा सैल्समैनों के पास भीड़भाड़ न हो।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

दूसरे में बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त भांडार हैं और हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि वितरकों के पास उसे शीघ्रता से पहुंचा दें।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं समझता हूं कि मूल्य कुछ समय से बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए मूल्यों को बढ़ने से रोकने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए हमने विशेष दल बनाये हैं?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मूल्य नहीं बढ़ रहे थे। तीन अथवा चार दिन पहले ही मिट्टी के तेल की बोतल ४१/२ आने में बिक रही थी। अचानक ही जिस वितरक ने चाहा अधिक लाभ कमाने के लिए मूल्य बढ़ा दिए। जब लोग स्वयं अधिक मूल्य पर कोई चीज खरीदना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या माननीय मंत्री इस स्थिति में हैं कि निश्चित रूप से क्या स्पष्टतया बतायें कि जनसाधारण के द्वारा काम में लाई जाने वाली इस वस्तु के इस प्रकार बेचने के मामलों को कठोरता से रोका जाये?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार यह जानने का प्रयत्न करेगी कि मिट्टी के तेल की बिक्री निश्चित मूल्य पर हो तथा जो नियमों तथा कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको कठोर दण्ड दिया जाये।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करोलबाग) : क्या दिल्ली प्रशासन को ऐसा निर्देश दिया गया है कि वह ऐसी दुकानों पर जहां कि मिट्टी का तेल मिलता है, उसके दाम की सूची लटकाएं?

श्री के० दे० मालवीय : जी हां, इसका फैसला हो गया है और आज कल में ही यह सूची वहां टांग दी जाएगी, और जनता से उम्मीद की जाती है कि वह दाम देख कर ही तेल लेगी और जो दाम है उससे ज्यादा नहीं देगी।

†**श्री शिवाजी राव 'शं' देशमुख** (परभणी) : क्या सरकार को समाचार मिला है कि किसी मंत्री के पर्सनल सैकेट्री १४ टीन मिट्टी का तेल लेने के लिए गए थे और उनको मिट्टी के तेल के बगैर लौटना पड़ा?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने वह समाचार पढ़ा है परन्तु मुझे भी उससे ज्यादा खबर नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खाद्य अपमिश्रण (दूसरा संशोधन) नियम

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५६४ में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६२५/६२**]।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन अधिसूचना

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : मैं श्री दातार की ओर से संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खंड (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५९४ की एक प्रति, जिसमें उक्त अनुच्छेद के खंड (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक ३० अक्तूबर, १९६२ के आदेश संख्या जी० एस० आर० १४१८ के संशोधन प्रकाशित किये गये हैं, सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६२६/६२ ।]

समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५८४ ।

(दो) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप–धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क, तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५८५ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी ० ६२७/६२] ।

डाकघर बचत प्रमाणपत्र नियमों तथा लोक ऋण (तीसरा संशोधन) नियमों में संशोधन

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से, निम्नलिखित पत्रों की प्रति सभा पटल पर रखता हूं —

(१) सरकारी बचत प्रमाण–पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत डाक–घर बचत प्रमाण–पत्र नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति:—

(एक) दिनांक १ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४५८ ।

(दो) दिनांक १ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४६१ ।

(तीन) दिनांक २१ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५९० ।

(२) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उप–धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५०९ में प्रकाशित लोक ऋण (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ६२८/६२] और एल० टी० ६२९/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश मिले हैं:—

(१) लोक सभा द्वारा २९ नवम्बर, १९६२ को पारित गोदाम निगम विधेयक, १९६२ को राज्य सभा ने अपनी ३ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) इस संदेश के साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा ४ दिसम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में परित किए गए पूर्वी पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सक (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६२ की प्रती संलग्न की है।

पूर्वी पंजाब वैद्य और हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

†सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पूर्वी पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सक (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६२ सभा पटल पर रखता हूं।

कथित जासूस की गिरफ्तारी

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैंने हाल में ही बुधबीर सिंह की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य दिया था तथा माननीय सदस्यों ने और जानकारी मांगी थी।

२८ अक्तूबर, १९६२ को गोहाटी पुलिस ने गांव माखनतोल, काठमांडू, नेपाल के स्वर्गीय रतनबीर सिंह के पुत्र बुधवीरसिंह को गिरफ्तार किया था क्योंकि उनके पास दो कैमरे थे और वह फैन्सी बाजार, गोहाटी में संदेहास्पद परिस्थितियों में घूम रहे थे। उसको गोहाटी थाने में लाया गया और उससे पूछताछ की गई थी। वह १९६० से कालिम्पोंग में अपने परिवार के साथ रह रहा था। वह २६ अक्तूबर को इम्फाल होता हुआ गोहाटी आया और उसके साथ उसका नौकर था उसने यह स्वीकार किया कि उसने शिलांग, इम्फाल और गोहाटी में कुछ फोटो उतारे हैं। २८ अक्तूबर, १९६२ को उसकी गिरफतारी के बाद उस होटल की तलाशी ली गई जिसमें वह रहता था परन्तु वहां पर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं मिली। २९ अक्तूबर को उसको उसके नौकर के साथ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, गोहाटी के सामने पेश किया गया। उन्होंने १२.नवम्बर, १९६२ को उनको जेल भेज देने के आदेश दे दिए। गोहाटी के एक वकील के द्वारा ३० अक्तूबर, १९६२ को उनकी जमानत की अर्जी दी गई और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दोनों की ५००, ५०० रुपये की जमानतें ले ली हैं।

कालिम्पोंग पुलिस से प्राप्त रिपोर्टों से मालूम होता है कि बुधवीरसिंह अथवा उसके नौकर के विरुद्ध कोई बात नहीं है। बुधवीर सिंह ने गोहाटी पुलिस को जो वक्तव्य दिया है वह भी स्थानीय जांच से ठीक निकला है। पकड़े गये कैमरों में उतरी हुई फिल्में साफ करने

---

†मूल अंग्रेजी में

पर मालूम हुआ कि बुधवीर सिंह अथवा उसके नौकर किसी जासूसी में नहीं थे परन्तु फिर भी मामले की जांच हो रही है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि जब मजिस्ट्रेट ने जमानत ली थी उस समय पुलिस ने उसका बड़ा विरोध किया था । परन्तु फिर भी जमानत मंजूर की गई तथा तभी से वह व्यक्ति गायब है ? क्या उसको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जब उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो कोई कार्यवाही क्यों की जानी चाहिये ? वह गायब नहीं है । वह उपलब्ध है ।

श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सदन ५ दिससबर, १९६२ को श्री पट्टाभिरमन द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगा, अर्थात् :—

> "कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ और श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री कृ० ल० मोरे** (हतकंगले) : धारा ९(ग) में तीन आजाद व्यक्तियों की नियुक्ति की ओर संकेत किया गया है, जिनमें से एक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश होगा । एक की बजाय तीन व्यक्ति रखने से मामलों के निपटारे में विलम्ब होगा और इस से एक प्रकार से आर्थिक हानि भी होगी । आपातकाल को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिये । किन्तु मुझे हर्ष है कि उन तीन व्यक्तियों में से एक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा । मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं ।

जहां तक उपदान का सम्बन्ध है यह प्रतिबन्ध उस पत्रकार के लिए बहुत सख्त है जिसने अन्तःकरण के आधार पर स्वेच्छा से सेवा से त्यागपत्र दे दिया हो । मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस प्रतिबन्ध को हटा दिया जाये ।

सामान्य रूप से मैं विधेयक को बहुत लाभदायक समझता हूं और यह समाजवाद की ओर एक कदम है इसलिए मैं इस का समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं ।

†**श्री कोया** (कोजीकोड) : मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकार को बधाई देने में कोई संकोच नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि सरकारी सेवा में काम करने वाले पत्रकारों के प्रति विभेद कर के सरकार ने एक जातीयता की भावना पैदा कर दी है । सरकार को अपने पत्रकारों को उन रियायतों से वंचित नहीं रखना चाहिये जो अन्य पत्रकारों को दी गई हैं । कम से कम न्यूनतम मजूरी के मामले में सरकारी पत्रकारों को वही सुविधा मिलनी चाहिये ।

यह बहुत खेद की बात होगी यदि सरकार छोटे पत्रकारों को कुछ संरक्षण नहीं देती । अब भी उन्हें सरकारी विज्ञापन नहीं मिल र । छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापन आदि देकर उनकी रक्षा की जानी चाहिये । अन्यथा यदि उन पत्रों को अपने पत्रकारों को बढ़ी हुई दरों के अनुसार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोया]

भुगतान करने के लिए बाध्य किया जायेगा तो वे बन्द हो जायेंगे और बहुत से पत्रकार बेरोज़गार हो जायेंगे ।

श्रमजीवी पत्रकारों के अतिरिक्त समाचारपत्रों में प्रबन्धक वर्ग भी होता है । उनके वेतन भी आप को बढ़ाने चाहियें, नहीं तो असमानता बनी रहेगी और उन में असंतोष फैलेगा ।

छोटे पत्रों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिये ।

मुझे भय है कि अन्तःकरण संबंधी का दुरुपयोग किया जायेगा, विशेषकर क्योंकि हम एक राजनीतिक दुनिया में रह रहे हैं । कुछ संघ राजनीतिक दलों से प्रभावित होंगे और वे पत्रकारों को राजनीतिक आधारों पर त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य करेंगे । इससे पत्रकारों का ही नुक्सान होगा । इस बात का कोई संरक्षण होना चाहिये कि अन्तःकरण खंड का समाचारपत्र दुरुपयोग नहीं करेंगे ।

सामान्य रूप से मैं विधेयक का स्वागत करता हूं किन्तु मैं छोटे समाचारपत्रों की कठिनाइयों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, मैं उस का स्वागत करता हूं, परन्तु उस में जो कमियां हैं, उन की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारों का एक विशेष स्थान होता है । समाज के अन्य अंगों की तरह हमारी पत्रकार-श्रेणी की तरफ़ भी हमारे राष्ट्र का विशेष ध्यान होना चाहिए । उन की उन्नति, तरक्की, कल्याण और रोज़गार की सुरक्षा आदि सब बातों की व्यवस्था करना राष्ट्र का ही दायित्व है । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक पत्रकारों की समस्या ठीक तौर से हल नहीं हुई है और कोई न कोई ऐसी उलझन बीच में आ जाती है, जिस का परिणाम यह होता है कि अगर हम कोई व्यवस्था सोचते भी हैं, तो हम को उसे फिर से देखना पड़ता है और उस में बार-बार सशोधन लाने की आवश्यकता होती है ।

अभी थोड़े दिन हुए कि एक प्रैस कमीशन स्थापित हुआ था, जिस को पत्रकारों के बारे में बहुत सी समस्याओं को हल करने के विषय में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था । उस के सामने इस सम्बन्ध में सारी बातें रखी गई थीं और कुछ सुझाव उस ने दिये, जिन के अनुसार हम ने १९५५ और १९५८ में यहां पर विधेयक रखे और उन को पारित भी किया । लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले ऐसे हुए, जिन से हमारी उस व्यवस्था में कुछ उथल-पुथल हुई और हमें उस पर फिर से विचार करना पड़ा ।

ग्रैचुएटी की जो समस्या है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले हुए हैं और उन फ़ैसलों के बाद पत्रकार, मालिक लोग और सरकार, इन तीनों श्रेणियों की एक बैठक हुई, लेकिन उस में यह मसला हल नहीं हुआ । दूसरी बैठक में भी मसला हल नहीं हुआ, लेकिन दो एक उसूल तय हुए, जिन के अनुसार यह विधेयक लाया गया है । जो मसला तय नहीं हो पाया, मैं समझता हूं कि उस में हमारी सरकार ने एक बीच का रास्ता अख्त्यार किया है । जहां तक ग्रैचुएटी देने का प्रश्न है, यह तो बहुत साफ़ है कि ग्रैचुएटी बतौर पुरस्कार के, इनाम के तौर पर, समझी जाती है और मेरी समझ में यह तो आवश्यक है सम्बद्ध पत्रकार की कुछ

सेवायें होनी चाहिएं, जिन के लिए कि हमें उस को पुरस्कार देना है। यह नहीं है कि उस की कोई भी सेवा न हो, सर्विस में उस के कुछ भी दिन न गुज़रे हों और हम पुरस्कार देने के लिए बाध्य हों। यह कोई न्यायसंगत बात नहीं होगी।

उस के बाद यह मसला आता है कि जो पत्रकार यह देखते हैं कि जहां पर वे सेवा कर रहे हैं, अपने विचारों के आधार पर, अपनी विचार-धारा के मुताबिक, वे वहां के मालिक की नीति के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें उस सर्विस को छोड़ना पड़ता है।

विधेयक में यह चीज़ रखी गई है कि कम-अज़-कम तीन साल की सेवा अगर हो तब कांशेंस क्लाज़ को एप्लाई करके और इसको देख करके कि कांशेंस की बिना पर ही इस पत्रकार ने उस सेवा को छोड़ा है, उसको ग्रेचुएटी दी जा सकती है। उसूलन तो यह बात ठीक है। जब कोई भी किसी को अपनी सेवायें अर्पित करता है, तब उसे देखभाल लेना चाहिये कि आया वह अपनी विचारधारा के अनुसार वहां की सेवा कर सकता है या नहीं कर सकता है और अगर वह छानबीन करके और समझ बूझ कर वहां पर सेवा करने के लिये राज़ी होता है तो फिर उसको कुछ न कुछ दिन तो वहां की सेवा करनी ही चाहिये। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह जो तीन वर्ष की कैद लगाई गई है, यह अनुचित नहीं लगाई गई है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो मालिक है, अगर उसका विचार बदलता है, जो उसकी नीति थी, उस नीति में वह परिवर्तन करता है और यह बात मालिक की तरफ से ही की जाती है तो फिर उस हालत में यह कहां तक वाजिब होगा कि उस पर यह शर्त लगाई जाये कि अगर तीन बरस की उसकी सेवा होगी तभी उसको ग्रेचुएटी दी जाएगी, इनाम दिया जाएगा, वर्ना नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूं कि पत्रकारों के लिए यह न्याय-संगत नहीं होगा। जिस समय उसने अपनी सेवायें अर्पित की थीं, उस समय जो उस पत्र की नीति थी उसकी जानकारी उसने हासिल कर ली थी और उसकी विचारधारा से वह मेल खाती थी और इसी वजह से उसने अपनी सेवायें वहां पर अर्पित की थीं लेकिन उसके बाद यदि उस नीति में तबदीली आती है या परिवर्तन आता है जिसके लिए वह कतई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर जब उसे छोड़ना पड़ता है, तो जसको कांशेंस क्लाज़ के मुताबिक जो कुछ मिलना है, वह क्यों नहीं मिले। एक शख्स ने एक व्यवस्था वहां पर बनाई थी और उसको मजबूर होकर दूसरे की गलती की वजह से अगर हटना पड़ता है ख्वामख्वाह के लिये हटना पड़ता है तो उसको ग्रेचुएटी उस हालत में बिना इस शर्त के कि उसकी सेवा कितने बरस की है और कितने बरस की नहीं है, मिलनी चाहिये और यह चीज़ हो जानी चाहिये।

यह भी मैं चाहता हूं कि हमारे पत्रकार जो हैं, इनके लिए जो व्यवस्था की गई है .....

अध्यक्ष महोदय : पहली घंटी बजने के बाद माननीय सदस्य ने कुछ रफ्तार तेज़ कर दी थी। अब फिर वह ढीले हो गये हैं। मैं दूसरी घंटी बजाने वाला हूं।

श्री कृ० कृ० वर्मा : मुझे बतला दीजिये कि कितने और मिनट मैं बोल सकूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट और ले लीजिये।

श्री कृ० कृ० वर्मा : हमारे पत्रकारों के लिए जो अभी तक व्यवस्था की गई है, उसमें मैं एक और कमी पाता हूं। जहां तक अंग्रेजी अखबारों का सम्बन्ध है और साथ ही साथ हिन्दुस्तानी जुबान में जो अखबार निकलते हैं, उनका सम्बन्ध है, उन दोनों के पत्रकारों में काफी फर्क है, उन दोनों में जो वेतन मिलते हैं और जो सुविधायें मिलती हैं, वे एक समान नहीं मिलती हैं और इतना ही नहीं बल्कि उसमें काफी अन्तर है। मैं समझता हूं कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिये और जो अंग्रेजी पत्रकारों को

[श्री कुं कृ० वर्मा]

मिलता है वही हिन्दी या और हमारी जो हिन्दुस्तान की भाषायें हैं, उनके पत्रकारों को भी मिलना चाहिये। इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़—उत्तर): स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व देश के पत्र-पत्रिकाओं ने लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण काम किया था। वे नव-भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। परन्तु वह तभी संभव हो सकता है जब कि उन समाचारपत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ अच्छा बरताव किया जाये ।

चूंकि एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स लिन बनाम भारत संघ के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने धारा ५(१)(क)(३) को संविधान के शक्ति परस्तात् घोषित कर दिया है, इसलिए १९५८ के अधिनियम को संशोधित करना पड़ रहा है ।

विधेयक के खंड ३ में तीन साल से अधिक सेवा वाले पत्रकारों को अधिक सुविधायें देने का उपबन्ध किया गया है इसलिए इस खण्ड का स्वागत है। परन्तु जिन संस्थाओं में प्रबन्धक, सम्पादक और श्रमजीवी पत्रकार सभी गरीबी और कठिनाइयां झेल रहे हैं उनके मामले में यह पता लगाना बहुत कठिन है कि उन उपबन्धों को क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं ।

अन्तःकरण सम्बन्धी खंड महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्रकारों की स्वतन्त्रता एवं विचार स्वातन्त्र्य की रक्षा अवश्य की जानी चाहिये ।

खंड ४ के अन्तर्गत मजूरी बोर्ड उसको भेजे गये किसी भी दस्तावेज अथवा अभ्यावेदन को पेश कर सकता है। परन्तु केवल वही दस्तावेज पेश किया जाना चाहिये जो गुप्त प्रकार का नहीं तथा जिससे उस मामले पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

एक माननीय सदस्य ने सरकारी पत्रकारों और निजी समवायों में काम करने वाले पत्रकारों में भेद किया है और सरकारी पत्रकारों के साथ सहानुभूति प्रकट की है। मैं समझती हूं कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिक अच्छी होती हैं और उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अतः इनको कम करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होना चाहिये, बल्कि अन्य श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तें और और सुविधाएं उनके बराबर कर देनी चाहियें। मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर): अध्यक्ष महोदय, डिमाक्रेसी के संचालन के लिये पत्रकारिता का जो महत्व है उससे हम आप सब अवगत हैं। पत्रकारिता चौथी स्टेट है जो कि जनसमाज को एजुकेट करके डिमाक्रेसी को सही स्वरूप देती है। श्रमजीवी पत्रकार, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले, पत्रकारिता के प्रमुखतम अंग हैं। उनके ऊपर देश की जनता को शिक्षित करने और संसार का जनमत राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल बनाने का भार रहता है जो कि किसी भी देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दृष्टि से मैं जर्नलिस्ट्स को राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग मानता हूं। एक महत्वपूर्ण अंग को सुविधा देने की दृष्टि से, उनकी दिक्कतों को दूर करने के खयाल से यह जो बिल इस सदन के सामने पेश किया गया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं ।

यह सही बात है कि अच्छा होता अगर यह बिल कुछ पहले आया होता। मैं महसूस करता हूं कि सभी मित्रों ने इस बात की मांग की है कि इस बिल को सन् १९६१ से लागू किया जाय। मैं महसूस करता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर ने जो वादा पहले किया था अब उस की पूर्ति उनको करनी चाहिये। शासन की तरफ से जब भी कोई वचन दिया जाय तो उस वचन की पूर्ति नितान्त आवश्यक होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वेज बोर्ड में दो तीन बाहर के आदमियों को नियुक्त करने का निश्चय किया गया है, मैं समझता हूं कि वह थोड़ी उलझन पैदा कर सकता है। उत्तम होता यदि जैसा पहले प्रस्ताव था वैसा ही किया जाता अर्थात् दो पत्रकारों के प्रतिनिधि, दो एम्प्लायीज के प्रतिनिधि तथा एक और जिम्मेदार व्यक्ति, जो कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत का हो, निष्पक्ष तरीके से विभिन्न प्रश्नों पर विचार करके अपना फैसला दे। इस तरह का वेज बर्ड होता तो ज्यादा अच्छा होता।

एक और बात हमारे सामने आती है अर्थात् जिन्होंने तीन वर्ष से लेकर दस वर्ष तक सेवायें की हैं उनको ग्रैचुएटी देने का प्रश्न। प्रति वर्ष की सेवा के लिये १५ दिनों के वेतन की माप से साढ़े बारह वर्ष तक का वेतन दिया जा सकता है इस बिल के अनुसार। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि किसी भी आदमी ने तीस वर्ष तक सेवा की है या पच्चीस वर्ष से ऊपर तीस वर्ष तक सेवा की है तो उसका खयाल जरूर किया जाना चाहिये। तीन वर्ष से दस वर्ष तक की सेवा के लिये यह नियम लागू हो सकता है, लेकिन जो लोग दस वर्ष से अधिक काम कर चुके हैं, जनकी ग्रेचुइटी का मसला तय करते समय साढ़े बारह महीनों के वेतन की कैद लगाना उचित नहीं होगा इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि उन्होंने कितने वर्ष कीसेवा की है। सेवा के वर्षों को पन्द्रह दिन के वेतन के अनुपात के गुणा करके जो राशि आये उतना उनको दिया जाना अच्छा होगा।

पत्रकार राष्ट्र के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और आज की स्थिति में इस देश में एक नई जीवट और नई ताकत पैदा करने की दृष्टि से उनका एक बहुत बड़ा भाग है। ऐसे वक्त में उन्हें थोड़ी सी गुंजाइश देने के लिये जो बिल लाया गया है वह निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास होने से पत्रकार बन्धुओं, विशेषकर श्रमजीवी पत्रकार बन्धुओं की दिक्कतें दूर होंगी और वे अपने को अधिक महत्वपूर्ण महसूस करते हुए, जो बड़ी बड़ी कंसर्न्स हैं, जो बड़े बड़े पत्र हैं उनके अंकुश से थोड़ा मुक्त होते हुए राष्ट्र की आज की स्थिति को देखते हुए और अधिक स्वतन्त्रता-पूर्वक अपना कार्य कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†**श्री भगवत झा आजाद** (भागलपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे केवल इतना खेद है कि सरकार ने इसे लाने में इतना बिलम्ब किया है।

समाचारपत्रों में एकाधिपत्यवादी प्रवृत्तियां और उनके लाभ बढ़ रहे हैं परन्तु श्रमजीवी पत्रकारों को उनका उचित हक नहीं मिलता है।

कहा गया है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन में नियोजकों और श्रमजीवी पत्रकारों के बीच कुछ समझौते हो गये थे। किन्तु उपदान के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। नियोजक इतनी छोटी सी रियायत भी नहीं दे सके। सरकार ने यह अच्छा किया है कि इस मतभेद के बावजूद भी उस ने यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया है और उस में यह उपबन्ध भी सम्मिलित है। इस बात का विशेष रूप से स्वागत है कि चाहे श्रमजीवी पत्रकार अन्तःकरण के कारणों से त्यागपत्र दें, फिर भी उसे उपदान प्राप्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है। मुझे हर्ष है कि सरकार ने अन्तः करण सम्बन्धी अधिकार भी दिया है।

उपदान दो प्रकार से सीमित है। एक तो यह कम है, दूसरे यह एकरूप नहीं है। मेरे विचार में १० वर्ष की अवधि निर्धारित नहीं की जानी चाहिये थी और इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना चाहिये अर्थात् इसे १ जुलाई, १९६१ से लागू करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा ग्राजाद]

मेरा एक सुझाव यह भी है कि यदि प्रबन्धक, अभिकर्ता या किसी अन्य ने भी कोई अपराध किया हो तो उन के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिये ।

मजूरी बोर्ड में तीन स्वतन्त्र सदस्यों की बजाय पांच सदस्य होने चाहिये —२ नियोजकों की ओर से, दो श्रमजीवी पत्रकारों की ओर से और अध्यक्ष उच्चतम न्यायलय या उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होना चाहिये ।

मैं यह भी कहूंगा कि विधेयक में उल्लंघन के लिये जो दंड है वह बिल्कुल नगण्य है। २०० रुपये का दंड निवारक सिद्ध नहीं हो सकता ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : भारत के बड़े बड़े समाचारपत्र भी, जो लाखों रुपया कमाते हैं अपने कर्मचारियों को सामान्य सुविधाएं नही देते जैसे कि सवारी, सोने का स्थान, कैन्टीन, चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं। ये लोग रात रात भर काम करते हैं फिर भी उन्हें यह साधारण सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं ।

इस बात का बिलकुल अनुमोदन नहीं किया जा सकता कि पत्रकारों को केवल अपवाद-स्वरूप मामलों में उपदान मिलना चाहिये ।

विज्ञापनों का मामला अभी तक नहीं किया गया। यह अब भी विदेशी समाचारपत्र फर्मों के हाथ में हैं। स्वयं भारत सरकार इन विदेशी फर्मों का दरवाजा खटखटाती है। सरकार ने भारतीय विज्ञापन की स्थिति को ठीक करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। न ही हम ने पत्रकारों की दशा सुधारने का कोई प्रयत्न किया है ।

प्रेस न्यासों के बारे में, हम ने अभी तक कोई बड़ा राष्ट्रीय अभिकरण नहीं बनाया है। पी० टी० आई, हमारा राष्ट्रीय अभिकरण इतना क्रियाकारी, बड़ा और व्यापक नहीं है जितना कि होना चाहिये ।

प्रैस आयोग की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया।

†**श्रीमती सावित्री निगम** (बांदा) : इस विधेयक का स्वागत करते हुए भी मैं कहूंगी कि यह पूरे दिल से नहीं बनाया गया। हम अधिक व्यापक विधेयक की आशा कर रहे थे। मैं जानना चाहूंगी कि प्रैस परिषद् अभी तक क्यों स्थापित नहीं की गई। हमें श्रमजीवी पत्रकारों की कठिनाइयों को समझना चाहिये ।

पृष्ठ १ में अनुशासनात्मक कार्यवाही की ओर निर्देश किया गया है। इस खंड के अन्तर्गत वे इस बहाने से प्रत्रकारों को निकाल सकते हैं। अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के आधार पर वे उन्हें उपदान आदि से वंचित कर सकते हैं। माननीय मंत्री को इस परिभाषा में परिवर्तन करना चाहिये ।

मजूरी बोर्ड में, श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या ३ कर देनी चाहिये और नियोजकों का प्रतिनिधि १ होना चाहिये। यदि यह अनुपात भी हो गया, तो मालिकों का प्रतिनिधि शक्तिशाली रहेगा। आशय यह है कि चालाक मालिकों द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों का शोषण न किया जा सके। उल्लंघन के लिए जो दंड रखा गया है, वह बहुत अपर्याप्त है। इस को बढ़ाया जाना चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : माननीय सदस्यों ने श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में अपने ज्ञान और दिलचस्पी का परिमाण दिया है उसके लिये मैं उन का आभारी हूं। सभा के सब ओर से उन्होंने एक मत से स्वीकार किया है कि श्रमजीवी पत्रकारों को सहायता देने में विलम्ब नहीं होना चाहिये। कुछ शिफारिश की गई थी कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ विलम्ब हुआ है। पहले मैं उनका उत्तर दूंगा।

इस प्रश्न पर सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के शीघ्र पश्चात् विचार किया था। संशोधन के विविध प्रस्ताव श्रमजीवी पत्रकारों के भारतीय संघ से प्राप्त हुए, उनकी जांच सूचना व प्रसारण मंत्रालय के परामर्श के साथ की गई। संशोधन के सुझाव हमारी प्रार्थना पर मजूरी समिति के एक सदस्य द्वारा दिये गये और समिति के सभापति ने उनका समर्थन किया। यह अनुभव किया गया कि समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना लाभदायक होगा, जो अपने अनुभव के द्वारा संशोधनों का सुझाव दे सकेगी। समिति की रिपोर्ट मई, १६५६ में आई। इस बीच राज्य सरकारों से श्रम के सुझाव तथा मत फरवरी, १६५७ में पूछे गये जो अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये सम्बद्ध सरकारें हैं उनके सुझावों तथा विचारों को ध्यान में रख कर प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया। जैसाकि सभी श्रम विधान में साधारण तरीका है यह अनुभव किया गया। विश्व मामलों पर त्रिपक्षीय बैठक में चर्चा की जानी चाहिये। कई अवसरों पर बैठक स्थगित करनी पड़ी और जब अन्त में बैठक हुई तो बहुत से मामलों पर सहमति थी किन्तु आत्मा खंड और उपदान की राशि आदि कुछ मामलों पर कोई सहमति नहीं हुई। तब आम चुनाव आ गये। सरकार ने पुनः विचार किया और अनुभव किया कि त्रिपक्षीय बैठक में मतभेद दूर किये जाएं। अतः विलम्ब का मुख्य कारण राज्य सरकारों से परामर्श करने की आवश्यकता है जो इस अधिनियम को कार्यान्वित करती है, त्रिपक्षीय बैठकों तथा आम चुनावों में समय खर्च हो गया। यह मानने वाली बात है कि यह कुछ विवादास्पद था और यह सामान्य इच्छा थी कि जहां तक संभव हो कि विविध संबद्ध पक्ष सहमत होने चाहियें।

मैं आज कही गई एक या दो बातों का उल्लेख करूंगा। २०० रुपये के दंड के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि यह शुल्क वसूली के उपबन्ध के अतिरिक्त है। यह कहा गया था कि अंग्रेजी तथा अन्य भाषा के पत्रों में मजूरी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। हमारे लिये उस को बराबर करना संभव नहीं है क्योंकि इन पत्रों की वेतन देने की क्षमता में अन्तर है। केवल अन्तर मजूरी और उपदान की मात्रा में है। अन्य कोई अन्तर नहीं है। समाचार पत्रों को विशेष समस्याओं की जांच श्रमजीवी पत्रकारों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी। मैं यह भी बता दूं कि राज्य सरकार मजूरी बोर्ड स्थापित नहीं करती, केन्द्रीय सरकार करती है। मैं यह भी कह सकता हूं कि जब सरकार इसे स्थापित कररेगी तो यह इन समस्याओं पर विचार करेगा। वास्तव में पिछले छः या सात वर्षों में अधिनियम की कार्यान्विति के सम्बन्ध में बहुत शिकायतें नहीं आईं। इस अधिनियमन का मुख्य कारण यह है कि उस अधिनियम का उच्चतम न्यायालय ने खंडन किया था। किन्तु फिर इस के खंडन होने के पश्चात् बहुत सी बातों पर विचार करना था।

१६६१ के बाद के निर्णय का उल्लेख किया गया है जिसका मैंने जिक्र किया था। अवधि के बारे में कोई दृढ़ता नहीं थी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को हमारे द्वारा रखे जाने वाले सशोधनों का पता है। वास्तव में हम श्री विद्यालंकार तथा श्री रवीन्द्र वर्मा के संशोधनों को स्वीकार कर रहे हैं किन्तु हम उनको वैधानिक रूप दे रहे हैं। मैं यह भी बता सकता हूं कि विधेयक को जुलाई, १६६१ से भूतलक्षी प्रभाव दिया जाएगा। सरकारी संशोधन पेश किया जा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वे० रा० पट्टाभिरमन]

चुका है और सभा के सामने है। दूसरा संशोधन भी है जिसमें सभा को दिलचस्पी होगी— अन्तरिम पंचाट के लिये। इसे ही उससे कुछ भिन्न राय में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस रूप में यह सभा के माननीय श्रमजीवी पत्रकार सदस्य द्वारा रखा गया था। यदि मैंने रूप बदल दिया है, मैं कह सकता हूं कि उस ने इस का सार स्वीकार किया है और थोड़ा भिन्न रूप दिया है ताकि यह शेष विधान के साथ मेल खाये। अब मैं भारत सरकार के प्रेस कर्मचारियों को लूंगा। पहले मजूरी बोर्ड में ३, ३, और १ सदस्य थे। पिछली बार क्या हुआ यह हमें पता है। श्रम मंत्रालय के कुछ अनुभव के साथ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दो, दो और दो स्वतन्त्र व्यक्ति रखना बेहतर है। भारत में ही ऐसा नहीं।

इंगलैंड में भी दो स्वतन्त्र व्यक्ति जनमत का प्रतिनिधान करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं, अन्त में एक मत या सभापति होता है जो इस काम के लिये पूर्णतया योग्य होता है। यह स्वरूप मजूरी बोर्डों का है और मुझे विश्वास है कि यह यहां भी सफल रहेगा। सात का नम्बर पहली बार नहीं आया। पहले से ही सात है। हम सामान्य स्वरूप को मान रहे हैं उस अनुभव के आधार पर जो हमें उस मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): तीन स्वतन्त्र सदस्यों का एक दल बन जाता है, अतः उनका एक होना चाहिये।

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन**: हम यह कह कर अपना ही घर गन्दा कर रहे हैं। यह अभिलेख में लिखा जाता है। संसार क्या जाने कि ऐसे बोर्डों के सदस्य पक्षपात वाले व्यक्ति होते हैं और चर्चा आरम्भ कर देते हैं। हम क्यों ऐसा अनुमान लगायें? हम हमेशा सभा के सामने बात ला सकते हैं। अब सात हैं। वास्तव में मुझे एक माननीय सदस्य से यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उच्चतम न्यायालय में एक श्रमजीवी पत्रकार होना चाहिये। मुझे यह कहने का फख्र है कि कभी मैं वकील था। और तथ्य यह है कि जज अपनी सर्वोत्तम योग्यता तथा ज्ञान के द्वारा हमारे सामने वाले अधिनियमों का निर्वचन करते हैं। अब, जज उन तथ्यों को लेते हैं जो उन के सामने होते हैं और अधिनियम उन के सामने होते हैं। वास्तव में सात सदस्यों को यह जानकर दिलचस्पी होगी कि आत्ना सम्बन्धी खंड के बारे में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय योग्यतापूर्ण था। मैं इस खंड के कुछ भागों को लूंगा। उन्होंने इस पर कुछ समय लगाया है। वास्तव में उनको अवधि की अस्पष्टता से सम्बन्ध में था। उन्होंने सोचा कि यह कुछ निश्चित होनी चाहिये। दूसरे उन के मन में देने की क्षमता होनी चाहिये। इसका हल किया जा रहा है। आखिरकार, यह बहुत अच्छा है कि हम यहां ऐसा अधिनियम बनाएं जिसे अन्य निकाय ने स्वरूप प्रदान किया है, सरकार के तीसरे कक्ष ने, और हम ऐसा करने में बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे।

दूसरा उल्लेख वकीलों के पेश होने के बारे में था। मैं कह सकता हूं कि एक मामले में ऐसा हुआ कि महाअधिवक्ता तथा महान्यायवादी और दो अन्य मेरे विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में पेश हुए थे। ऐसा हुआ था कि मैं एक मामले में पेश हुआ जिस के परिणामस्वरूप संविधान में पहला संशोधन हुआ, रोमेश थप्पर बनाम मद्रास राज्य। मुझे उस मामले में पेश होने का मान मिला। मैं कनिष्ठ वकील था और मुझे सभी बातों में विजय हुई। अतः यह कोई बात नहीं कि उच्चतम न्यायालय में कौन पेश होता है। जज बाद की जांच करते हैं। कई अवसरों पर जजों ने वकीलों को प्वाइंट बिन्दु दिये हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इस बात का जिक्र न करूं कि उच्चतम न्यायालय

†मूल अंग्रेजी में

में श्रमजीवी पत्रकार होना चाहिये क्योंकि जज मामले के तथ्यों के आधार पर फैसला करते हैं ।

भारत सरकार के प्रेस कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ मा० सदस्यों ने उल्लेख किया है । और धारा १६ख जोड़ने की आलोचना की है जिस के अधीन मूलभूत नियमों के अन्तर्गत आने वाले सरकारी श्रमजीवी पत्रकार इस अधिनियम के उपबन्धों से पृथक् रखे गये हैं । इंडियन प्रेसों के प्रूफ रीडरों का उल्लेख किया है । इस में कुछ भ्रांति प्रतीत होती है । कि नवीन उपबन्ध इस दृष्टि से जोड़ा गया है कि इन लोगों को भारत सरकार के प्रेस से अलग रखा जाए । यह सही नहीं है । मई १९६१ में, संसद में प्रश्न के उत्तर में मेरे पूर्व वक्ता ने इस स्थिति को स्पष्ट किया कि भारत सरकार प्रेस कार्य प्रेस है किसी अन्य प्रेस के समान जो छपाई का काम करते हैं और वहां के प्रूफरीडर श्रमजीवी पत्रकार नहीं हैं जो अधिनियम के अन्तर्गत आते हों । जो सामग्री उनके सामने रखी जाती है उस के आधार पर निर्णय किया जाता है । आप इसे गलत निर्णय कह सकते हैं । किन्तु मैं आप के सामने तथ्य रखना चाहता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या वे लोग कानून के निर्वचन के अनुसार श्रमजीवी पत्रकारों की श्रणी में आते हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं सारा ब्योरा बता सकता हूं । मंत्रालय में परिमाण के बारे में विधि मंत्रालय का मत भी मांगा । अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार श्रमजीवी पत्रकार वह होता है जिस का प्रधान व्यवसाय पत्रकारिता तथा इस रूप में नौकर होना है । उनकी अवस्था में क्या अन्तर है । मैं प्रेस आयोग की रिपोर्ट की कंडिका ५०६ में से उद्धृत करूंगा ।

> "प्रूफरीडर श्रेणी के रूप में श्रमजीवी पत्रकार नहीं माने जा सकते क्योंकि वे जांव काम करने वाले प्रेसों में भी प्रूफरीडर होते हैं । " आगे कहा गया है ।

> "यदि किसी व्यक्ति को अधिक कुशल सब-ऐडीटर बनाने के उद्देश्य से ही प्रूफरीडर नियुक्त किया गया है, तो यह बात स्पष्ट है कि जब वह प्रूफरीडर रहता है, तो उसे श्रमजीवी पत्रकार ही समझा जाना चाहिये । अन्य सभी मामलों में उसे श्रमजीवी पत्रकार नहीं माना जाएगा, परन्तु फैक्टरी अधिनियम के पर्यवेक्षण के अन्दर आने वाले प्रेस कर्मचारियों के सदस्य के नाते ।"

भारत सरकार प्रेस की संस्था के प्रतिनिधि ६ नवम्बर, १९६२ को मेरे पूर्ववर्ती मित्र से मिले और उन को स्थिति बता दी गई । बाद में उन्होंने एक ज्ञापन दिया जिसका उत्तर भेजा जा चुका है कि वे अधिनियम के अन्दर नहीं आते ।

संशोधन का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सूचना सेवा तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा भी प्रकाशित कुछ पत्रिकाओं में, जिसे समाचारपत्र कहा जा सकता है, मुख्य रूप से काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों को बाहर रखा जाए । ये अधिकारी पत्रकारों के पदों से अन्य पदों पर बदले जा सकते हैं जो पत्रकारिता वाले नहीं होते । ये बहुत कम संख्या में हैं और इन लोगों की प्रमुख संस्था प्रस्तावित संशोधन से सहमत हैं । मुझे उन की ठींक संख्या मालूम नहीं किन्तु बात यह है है कि वे सब इस के अन्दर नहीं आ सकते हैं । उन से परामर्श करने का पूर्ण प्रयत्न किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : विधेयक रखे जाने के पश्चात् प्रेस संस्था ने एक ज्ञापन में विभिन्न निर्णयों के आधार पर बताया था कि वे श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा में आते हैं।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जैसा मैं अभी सभा को बता रहा था, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था, उन्होंने बातचीत की थी जिस में उनको स्थिति बताई गई थी और अन्त में कुछ लोगों के सम्बन्ध में समझौता हो गया था । अब मैं संख्या नहीं बता सकता।

भारत सरकार के प्रेस के पढ़ने वाले कर्मचारी कुछ समय पहले से यह अभिवेदन कर रहे हैं कि उन को श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ मिलने चाहियें । समझौता अफसर (केन्द्रीय) ने भी इस विषय पर चर्चा की थी। उसकी रिपोर्ट की परीक्षा निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के परामर्श के साथ की गई थी । विधि मंत्रालय की स्पष्ट मंत्रणा की दृष्टि से कि भारत सरकार प्रेस समाचार पत्र प्रतिष्ठान नहीं है, समझौते अफसर ने कुछ सिफारिशें कीं । यह स्थिति . . .

†श्री बड़े : किन्तु सरकार ने इसे समझौता अधिकारी के पर्यवेक्षण से बाहर बताया है ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : कुछ मा० सदस्यों ने कल बताया है कि सरकारी नियमों के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकारों को लाभ उन से उत्तम नहीं है जिन का उपबन्ध श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्दर दिया गया है। दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत' लाभों के सम्बन्ध मंत्रालय की फाइल पर लम्बा विवरण है।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम १९५५ से लागू है। कोई सरकारी श्रमजीवी पत्रकार —मैं भारत सरकार प्रेस के प्रूफरीडरों को शामिल नहीं करता कि पिछले सात वर्षों में सरकार से प्रार्थना की है कि अधिनियम के उपबन्ध उन पर भी लागू किये जाने चाहिये । यह स्पष्ट प्रमाण है कि उनको श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले लोगों से बेहतर लाभ प्राप्त हैं ।

मैं नहीं समझता कि सरकारी श्रमजीवी पत्रकारों की तुलना गैर-सरकारी क्षेत्र के पत्रकारों से करना उचित है । सरकारी पत्रकारों का सम्बन्ध कुछ पत्रिकाएं तैयार करने से है, जिनका उपयोग इन विषयों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक सीमित होता है। किन्तु दूसरी ओर गैर-सरकारी क्षेत्र के पत्रकार जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

किसी व्यक्ति की नौकरी से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त सुरक्षा की होती है । यह इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकारी सेवा में सुरक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक है । में प्रजासमाजवादी दल के नेताओं को याद कराना चाहता हूं कि अनुच्छेद ३११ के उपबंध सरकारी कर्मचारियों को ही उपलब्ध हैं जो गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हैं। उपबन्धों का नियमित प्रवाह है, नोटिस कारण बताओ आदि, दंड के सम्बन्ध में। इसी दृष्टि से कि खंड में संशोधनों के प्रस्तुत होने पर अधिक बोलूंगा। अर्जित छट्टी सरकारी कर्मचारियों को मूल कर्तव्य अवधिका ग्यारहवां भाग होती हैं जो १८० दिन तक जमा हो जाती हैं किन्तु किसी एक अवसर पर १२० दिन तक दी जाती हैं। जहां तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम का सम्बन्ध है, यह ११ महीनों के लिये १ महीना है और अधिकतम ९० दिन तक होती है। हो सकता है कि यह वेतन आयोग की सिफारिश हो । मैं अभी दोनों की तुलना कर रहा हूं। सरकारी क्षेत्र में अर्ध-वेतन छुट्टी भी होती है। छुट्टी वेतन १० महीनों की औसत या स्थायी वेतन जो अधिक हो। श्रमजीवी पत्रकारों के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये बारह महीनों की औसत होती है। सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटे सप्ताह में ३९ और महीने में दूसरा शनिवार छुट्टी। आपातकाल के कारण वर्तमान वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया। श्रमजीवी पत्रकारों के लिये प्रति दिन छः घण्टे दिन में रात्रि को पारी में ५'/₂ घंटे अर्थात् चार लगातार सप्ताहों में १४४ घंटे होते हैं। सरकारी कर्मचारियों को १६ छुट्टियां मिलती हैं जो रविवार को नहीं होती, वर्ष में दो सीमित छुट्टियां भी मिलती हैं श्रमजीवी पत्रकारों को वर्ष भर में १० छुट्टियां मिलती हैं। चिकित्सा सुविधा भी सरकारी कर्मचारियों को वेतन के मुताबिक थोड़ा शुल्क देकर सी० एच० एस० योजना से प्राप्त है। यह दिल्ली में अनिवार्य है। श्रमजीवी पत्रकारों को कोई चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं। निवास स्थान के लिये भी सरकारी कर्मचारियों के लिये व्यवस्था की जाती है। और जिन को सरकारी स्थान नहीं मिलता उन्हें १० प्रतिशत से अधिक ७'/₂ पर सेंट तक किराया मिलता है। श्रमजीवी पत्रकारों को कोई निवास स्थान नहीं दिया जाता न ही मकान का किराया दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को '/₃ महीने के वेतन का समाप्ति उपदान मिलता है। यदि अस्थायी कर्मचारी ने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। अर्ध स्थायी कर्मचारी को अर्धस्थायी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये '/₃ महीने का वेतन उस के अतिरिक्त मिलता है। इस के इलावा अस्थायी कर्मचारियों को तीन महीने के वेतन तक मृत्यु उपदान और अर्धस्थायी कर्मचारी को चार महीने का वेतन मिलता है। स्थायी कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये '/₂ महीने का वेतन जो अधिकतम १५ महीनों का वेतन या २४,०००० रुपये जो कम हो, होता है, सेवा निवृति उपदान के तौर पर मिलता है। मृत्यु होने पर परिवार को १२ महीनों के वेतन के बराबर उपदान या उन लोगों के मामले में जो ५ वर्ष की अर्ध सेवा पूरी करने से पहले मर जाते हैं, उन के परिवारों को छः महीने का वेतन मिलता है। श्रमजीवी पत्रकारों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये केवल १५ दिन का औसतन वेतन मिलता है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भी मिलती है। १० वर्ष की अर्हता वाली सेवा के पश्चात् ८१००रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन मिल सकती है। पारिवारिक पेंशन भी मिल सकती है। किंतु श्रमजीवी पत्रकारों को अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों में कोई पेंशन देने का उपबन्ध नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रमजीवी पत्रकारों की हालत बहुत बुरी है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : सेवा की लंबाई के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की गई थीं। हम ने स्थिति का अध्ययन किया है। औद्योगिक न्यायाधिकरणों और हाल के निर्णयों के परिणाम-स्वरूप श्रमजीवी अपीलीय न्यायाधिकरण की सामान्य प्रथा पांच वर्षों की लगातार अवधि के पश्चात् उपदान देने की रही है। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। वे हैं: मुकुन्द आयर्न ऐंड स्टील वर्कस—१५ वर्ष; मोटर गाड़ी निर्माता —१५ वर्ष; मेत्तुर उद्योग—५ वर्ष; प्रिंटिंग प्रेस—बम्बई १५ वर्ष; मैसूर (होटल) उद्योग ५ वर्ष, मैसर्स फ्रैंक मोटर कार कम्पनी १५ वर्ष। अतः हमने १९६१ के दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय की उपपत्तियों को ध्यान में रखते हुए दस वर्ष की अवधि चुनी है।

अन्त में मैं आत्या खंड का उल्लेख करूंगा जिसका बारबार उल्लेख किया गया है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय से कुछ सूचना प्राप्त हुई थी। स्थिति यह है कि वेतन पानेवाले पत्रकारों के लिये और फ्रांस तथा स्विटजरलैंड में इस के लागू होने पर, पोलेंड के संबंध में जहां यह उपबन्ध युद्ध से पहले विद्यमान था, अधिक हाल की प्रगति के बारे में कोई आंकड़े प्राप्त नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

फ्रांस में श्रमजीवी पत्रकारों की हैसियत के इस पहलू की परिभाषा विधि द्वारा की गई है। मुझे उस विधि का उल्लेख करने की जरूरत नहीं। पिछले वर्ष पहली वार फ्रांस के उच्च न्यायालय को उन के उपबन्ध के लागू होने पर न्याय-निर्णयन करने का अवसर दिया गया था। ९ नवम्बर, १९६१ को उस न्यायालय ने तीन जिस में आत्या खंड के महत्वपूर्ण को अधिक स्पष्टकर दिया। उन से पता चलता है कि "नैतिक दिलचस्पी" के विचार का बड़ा व्यापक रूप से निर्वचन किया गया है। इस मामले में न्यायालय ने प्रतिकर केवल समाचारपत्र के विदेशी समाचार संपादक को ही नहीं दिया, अपितु विधि रिपोर्टों और हास्य चित्र बनाने वालों को भी, क्योंकि ये समाचारपत्र के स्वरूप और नीति में परिवर्तन होने के पश्चात मालिकों से स्पष्ट गारंटी प्राप्त नहीं कर सके थे, जो उस ने कार्टून बनाने में अपनी स्वतंत्रता के लिये मांगी थी और यह उस के दावे के लिये पर्याप्त आधार था। मैं समझता हूं कि आप सुन्दर कार्टूनिस्ट को जानते हैं जो ईवनिंग स्टैंडर्ड, लन्दन के लिये बहुत देर तक काम करता रहा, जिसे इस कारन के लिये बदलना पड़ा था। विश्वस्त टीकाकारों ने यह विचार व्यक्त किया है कि साहित्यिक या मजाकिया सामाचार लेखकों को भी इसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक होगा। प्रश्न यह है कि प्रतिकर के हक होने के लिये परिवर्तन कितना बड़ा होना चाहिये कि किसी पत्रकार को आत्या खंड के अन्तर्गत प्रतिकर का हक-दार होने के लिये कितने परिवर्तन की आवश्यकता होगी। चूंकि यह बहुत स्पष्ट नहीं है; प्रत्येक मामले पर गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

स्विटजरलैंड में आत्या खंड जर्म बोलने वाली स्विटजरलैंडी व्यवसायी पत्रकारों के लिये, सामूहिक समझौतों में दिया जाता है। वहां जहां तक संभव होता है, वे न्यायालय में जाना पसंद नहीं करते और परस्पर समझौता कर लेते हैं।

अन्त में आत्या खंड १९६० में विस्तारपूर्वक जांच के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ द्वारा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय नमूना संविदा में जोड़ा गया है। इस खंड की कार्यान्विति, यदि समाचरपत्र अपनी राजनीतिक लाइन बदलता है, जिससे पत्रकार को अपने कर्तव्यों का आत्या के साथ पालन करने में बाधा पड़ती है, जो इसे उतनी क्षति पूर्ति का हक होगा, जो ऊपर उपबंधित है, अर्थात् नमूने के संविदा के अनुच्छेद ११ में बर्खास्तगी के मामले में दी जाने वाली क्षति-पूर्ति।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम १९५५ और श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोत्रन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ३—(उपदान का भुगतान)

†**श्री वारियर** : मैं संशोधन संख्या ३५ को प्रस्तुत करता हूं।

† **श्री च० रा० पट्टाभिरामन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति ८,—

"This Sub-section" ["यह उपधारा"] के बाद "and sub-section (1) of section 17" [और धारा १७ की उपधारा (१)] शब्द जोड़ दिए जाएं [७०]।"

(२) पृष्ठ २, पंक्ति ६,—

"Voluntarily resings" ["स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है"] के बाद "on or after the 1st day of July, 1961" [पहली जुलाई, १९६१ को या उस के बाद "] शब्द जोड़ डिए जाएं । [७४]

(३) पृष्ठ २, पंक्ति ७,–

"any ground whatsover" ["कोई भी कारण हो "] के बाद "other than on the ground of conscience" ["अन्तःकरण के कारण को छोड़ कर"] शब्द जोड़ दिए जाएं । [७५]

(३) पृष्ठ २, पंक्ति १०,—

"Less than ten years lent" ["दस वर्ष से कम परन्तु"] शब्द हटा दिए जाएं [७६]

(४) पृष्ठ २, पंक्ति ११,—

"Voluntarily resigns" ["स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है "] शब्दों के बाद "on or after the 1st day of July, 1961" ["पहली जुलाई, १९६१ को या उस के बाद"] शब्द जोड़ दिए जाएं। [७७]

†**श्री वाजी** : मैं संशोधन संख्या १ , प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं संशोधन संख्या १६, ४२, ४३, ४५, ४६ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं अगला संशोधन संख्या ३६ प्रस्तुत करता हूं।

पृष्ठ २, पंक्ति ८—"who" ["कौन"] शब्द हटा दिये जायें ' [३६]

†**श्री पोट्टक्काट्ट** : मैं संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वारियर** : मैं संशोधन संख्या ३८ और ४४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : चूंकि सरकार ने पहले ही मेरे संशोधन संख्या १५ में दिए गए सुझाव को मान लिया है, अतः मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या सरकार ने अपने सभी संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कम समय लें, क्योंकि सब खण्डों और संशोधनों के लिए केवल एक घण्टा निर्धारित किया है।

†**श्री वारियर (त्रिचूर)** : खण्ड ३ में जो तीन वर्ष की सेवा की व्यवस्था है, मेरा संशोधन उसे दो वर्ष बनाना चाहता है। यह सभी मजदूरों की मांग है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

इस कानून के बाद यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार की दो वर्ष की सेवा हो गई हो, तो उसे उपदान मिलना चाहिए। यह व्यवस्था मजदूरों के लिए अन्य विधानों के लिए पथदर्शक होगी।

मेरा दूसरा संशोधन इस प्रतिबन्ध के बारे में है जिससे एक कार्यालय में ६ श्रमजीवी पत्रकार होने चाहिएं। ६ की संख्या कम करके ३ कर देना चाहिये ताकि जो श्रमजीवी पत्रकार छोटे पत्रों के कार्यालयों में काम करते हैं, वे भी इस व्यवस्था का लाभ उठा सकें।

पृष्ठ २ से "वैधानिक" शब्द हटाना चाहता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : संशोधन संख्या ७४ और ७७ बहुत संतोषजनक हैं।

परन्तु जिन शब्दों का इस में प्रयोग किया जाता है क्या उन से यह स्पष्ट होगा कि यह पीछे के समय से लागू होंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो पत्रकारों को वही कठिनाई रहेगी जो कि १९५५ अधिनियम के पारित करने के बाद हुई।

संशोधन संख्या १६ द्वारा मैं ने सुझाव दिया है कि १२$^1/_2$ महीनों के स्थान पर १५ महीने कर दिये जायें। उपदान तो सेवा की अवधि के अनुसार होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कम से कम १५ महीने मान लेने चाहियें।

संशोधन संख्या ३६ तो मौखिक संशोधन है।

संशोधन संख्या ४२ पत्रकार के परिवार के काम के लिये परन्तुक के बारे में है। परिवार में विवाहित लड़कियां नहीं होनी चाहियें।

संशोधन संख्या ४५ में मैं ने "and his"। ("और इस का") शब्दों को हटाने का सुझाव दिया है।

संशोधन संख्या ४६ में स्त्रि पत्रकारों के सम्बन्ध में भी वही परन्तुक लगाने के लिये कहा गया है जो पुरुष पत्रकारों के सम्बन्ध में है।

†**श्री दाजी** : मेरा संशोधन संख्या १ अधिकतर व्यापक है और उपदान योजना मृत्यु, नौकरी खत्म करने या स्वेच्छा से त्यागपत्र की अवस्था में पिछली तिथि लागू करना चाहता है। माननीय मंत्री ने स्वेच्छा से त्यागपत्र की सूरत में तो इस बात को मान लिया है, शेष दो अवस्थाओं में नहीं। उन की तीनों सूरतों में इसे मान लेना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पत्रकारों को उपादन देने के मामले में उन के स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर पिछली तिथि में इस योजना को लागू करने के लिये संशोधन किया है । त्यागपत्र और मृत्यु के मामलों पर भी माननीय मंत्री को विचार करना चाहिये ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं संशोधन संख्या ३६ स्वीकार करता हूं । संशोधन संख्या ४३ को नहीं । अन्य संशोधन भी मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

†श्री दाजी : नौकरी से हटाने पर या मृत्यु होने पर वहां उपदान योजना पिछली तिथि से क्यों लागू नहीं की जाती ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं ने पहले ही स्थिति के बारे में बता दिया है ।

प्राय: चर्चायें होती थीं, परन्तु मई, १९६१ का कभी जिक्र ही नहीं हुआ ।

यथार्थ में नौकरी से हटाने के मामले में पिछली तिथि से लागू करना आवश्यक नहीं है । आशा है कि माननीय मित्र इस बात को लेंगे ।

जुलाई, १९६१, सब से सन्तोषजनक अवधि होगी ।

†श्री वारियर : मैं अपना संशोधन संख्या ३५ वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन संख्या ३५ सभा की अनुमति द्वारा, वापिस लिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ३६ माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है । मैं इसे मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ २, पंक्ति ८, "who" ["कौन"] शब्द हटा दिए जाएं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । (३६)

†श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या १६ को वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन संख्या १६ सभा की अनुमति से वापिस ली गयी ।

†श्री पोट्टेकट्ट : मैं संशोधन संख्या १७ वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन संख्या १७, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ३८ वही है जो संशोधन संख्या १७ है ।

अत: वह अग्राह्य है ।

अब मैं सरकारी संशोधन संख्या ७०, ७४, ७५, ७६ और ७७ मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :—

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति ८,—

"this sub-section" [यह उपधारा] के बाद "and sub-section (1) of section 17" [और धारा १७ की उपधारा (१)] शब्द जोड़ दिये जायें । [७०]

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

(२) पृष्ठ २, पंक्ति ६,—

"Voluntarily resigns"" [स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है] के बाद "on or after the 1st day of July, 1961"["पहली जुलाई, १९६१ को या उस के बाद"] शब्द जोड़ दिये जायें। [७४]

(३) पृष्ठ २ पंक्ति ७,—

"any ground whatsoever" ["कोई भी कारण हो"] के बाद "Other than on the ground of conscience" [अन्तःकरण के कारण को छोड़ कर] शब्द जोड़ दिये जायें। [७५]

(४) पृष्ठ २, पंक्ति १०,—

"Less than ten years lent" ["दस वर्ष से कम परन्तु"] शब्द हटा दिये जायें [७६]

(५) पृष्ठ २, पंक्ति ११,—

"Voluntarily resigns" ["स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है"] शब्दों के बाद "On or afrer the 1st day of July, 1961" ["पहली जुलाई, १९६१ को या उस के बाद"] शब्द जोड़ दिये जायें। [७७]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री वारियर** : मैं संशोधन संख्या ४४ को वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या ४४ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं संशोधन संख्या ४२, ४३, ४५ और ४६ को वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या ४२, ४३, ४५ और ४६ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

†**श्री दाजी** : मैं संशोधन संख्या १ को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या १ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं भी संशोधन संख्या ८ वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या ८ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खंड ३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३ संशोधित रूप मे विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४ (धारा ८, ९, १०, ११, १२ और १३ के लिये नई धारायें रखना) :

†**श्री दाजी** : मैं संशोधन संख्या २ को प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन वही है जो संशोधन संख्या २ है।

†**श्री वारियर** : मैं संशोधन संख्या ४८, ४९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं संशोधन संख्या १८, १९, २१, २२, २३, ५१ ५३, ५४, ५९, ६०, ६३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री दाजी** : मैं संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं :

†**श्री हु० च० सौय** : मैं संशोधन संख्या ६१ और ६४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ७, पंक्ति ९ के बाद निम्न शब्द रख दिये जायें :—

"Power of Government to fix interim rates of wages　13A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where the Central Government is of opinion that it is necessary so to do, it may after consultation with the Board, by notification in the Official Gazette, fix interim rates of wages in respect of working journalists.

(2) Any interim rates of wages so fixed shall be binding on all employers in relation to newspaper establishments and every working journalist shall be entitled to be paid wages at a rate which shall, in no case, be less than interim rates of wages fixed under sub-section (1).

(3) Any interim rates of wages fixed under sub-section (1) shall remain in force until the order of the Central Government under section 12 comes into operation."

(मजूरी की अन्तरिम दरें निर्धारित करने संबंधी सरकार की शक्ति)

[१३ क (१) इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी, जहां पर केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि श्रमजीवी पत्रकारों की मजूरी की अन्तरिम दरें निर्धारित करना आवश्यक है, वह बोर्ड से परामर्श कर के सरकारी गजट में घोषणा निकाल कर, निर्धारित कर सकता है।

(२) इस प्रकार से निर्धारित की हुई अन्तरिम दरें, समाचार पत्रों के सभी संस्थापनों के नियोजकों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगी। और प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार को उपधारा (१) के अन्तर्गत निर्धारित अन्तरिम मजूरी के दरों से कम दर पर किसी भी अवस्था में मजूरी नहीं दी जायेगी।

(३) उपधारा १ के अन्तर्गत निर्धारित मजूरी की कोई भी अन्तरिम दरें उस समय तक लागू होंगी जब तक धारा १२ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का आदेश लागू नहीं होता।]

(७१)

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी संशोधन सभा के सामने प्रस्तुत हैं।

†**श्री वारियर** : अपने संशोधन संख्या ४८ और ४९ को प्रस्तुत करते समय मैं सभा को बताना चाहता हूं कि पिछली बार जब मजूरी बोर्ड बनाया गया था तो इन लोगों की बिल्कुल अवहेलना कर दी गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

श्रमजीवी पत्रकारों में से बहुत से मासिक और अन्य पत्रों में काम करते हैं। मासिक पत्रों इत्यादि में पत्रकारों को अधिक ध्यान से काम करना पड़ता है। दैनिक समाचार पत्रों से ज्यादा बल शीघ्रता पर होता है। सब मासिक या वार्षिक पत्रों में इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि सब सामग्री ठीक हो।

साप्ताहिक और मासिक पत्रों को काफी आय होती है। वे श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के सभी लाभ अपने पत्रकारों को दे सकते हैं। दैनिक पत्रों को तो विज्ञापनों पर निर्भर रहना पड़ता है। पता नहीं पिछली बार उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। जब मैंने श्रम मन्त्रालय को लिखा तो उन्होंने उत्तर दिया कि पर्याप्त जानकारी थी मेरे विचार में इस बात की अवश्य व्यवस्था करनी चाहिए कि जब अगला बोर्ड बनाया जाए तो ऐसा न हो।

इस समिति में कम से कम एक प्रतिनिधि प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों के कर्मचारियों का होना चाहिए।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : यद्यपि पारिश्रमिक के निर्धारण में श्रमजीवी पत्रकारों का ध्यान रखा गया है तथापि अन्य कर्मचारी जो उनसे भी असंगठित तथा शोषित हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया है।

जहां तक बोर्ड के गठन का तात्पर्य है बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने तब कोई आपत्ति नहीं की है तब इस बोर्ड के गठन में परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है?

इसे परिवर्तन करने के पूर्व त्रिपक्षीय सम्मेलन में भी नहीं पूछा गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं, दूसरा तात्पर्य यह है कि मजूरी बोर्ड के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों का दूसरा वर्ग भी आना चाहिये। तथा उसमें स्वाधीन व्यक्ति रहना चाहिये। मेरे विचार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अधिक उचित इस कार्य के लिये कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि इस संशोधन पर मतदान लिया जाये।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर हुई जेनरल डिस्कशन का जवाब देते हुए माननीय उपमन्त्री जी ने कहा कि एक्सपीरियन्स से उनको पता चला है कि वेज बोर्ड की पहले जो काम्पोज़ीशन थी, वह उतनी बेहतर नहीं है, जितनी कि इस बिल में दी गई नई काम्पोज़ीशन है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इस बारे में उनका एक्सपीरियन्स और तजुर्बा क्या हुआ। मेरा तो कहना यह है कि जो काम्पोज़ीशन पहले रखी गई थी, उसी को कायम रखा जाये, अर्थात् वर्किंग जर्नलिस्ट्स और एम्पलायर्ज़ के प्रतिनिधियों को रखा जाये और उनके अलावा जो तीसरी श्रेणी का इंडिपेंडेंट व्यक्ति रखा जाये, वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो और उसको चेयरमन बनाया जाये।

उन्होंने यह भी कहा कि जो दो इंडिपेंडेंट आदमी होंगे, वे प्रजुडिस्ड नहीं होंगे, ऐसा सोचना ग़लत है। मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूं कि जो दो आदमी होंगे, उनकी किसी तरह की ओपीनियन अवश्य होगी। अवश्य ही उन की ओपीनियन या तो प्रो-वर्किंग जर्नलिस्ट होगी या प्रो-एम्पलायर इससे

†मूल अंग्रेजी में

बेहतर है कि वे जो बोर्ड में दो ही श्रेणियों के आदमी रखे जायें। और तीसरी श्रेणी का आदमी सिर्फ़ जज हो, जो कि चेयरमन बनाया जाये। इसलिये मेरा कहना है कि बोर्ड में दो और इंडिपेंडेंट्स को नहीं रखना चाहिए।

दूसरी एमेंडमेंट मेरी सब सैक्शन १२(२) के बारे में है। १२(१) में कहा गया है कि वेज बोर्ड की जो रिकोमेंडेशन्ज होंगी, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चेंजिज के साथ लागू करने के लिये कह सकती है। लेकिन सब-सैक्शन २ में कहा गया है कि इन सारी चीजों से भी गवर्नमेंट आगे बढ़ सकती है, रिकोमेंडेशन्ज से और आगे बढ सकती है और चेंजिज भी कर सकती है। मेरा कहना यह है कि यह सब सैक्शन २ not withstanding any thing contained (किसी बात के रहते हुए भी से ले करके as it thinks fit जसा उचित समझे) तक ओमिट कर दिया जाए इससे आप बहुत आगे और बहुत दूर बढ सकते हैं, यहां तक कि जो रिकोमेंडेशन्स होंगी, उनको बिल्कुल आल्टर भी कर सकते हैं। यह नहीं होना चाहिये। इसलिए मेरी एमेंडमेंट है कि इसको ओमिट कर दिया जाए।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** संशोधन संख्या २३ को वापस लेता हूं। क्योंकि उपमन्त्री ने अपने संशोधन संख्या ७१ को स्वीकार कर लिया है जहां तक संशोधन संख्या १८ का प्रश्न है उसका उद्देश्य यह है कि सरकार को निर्धारण तथा संशोधन दोनों की शक्तियां प्राप्त हो जायें। मैं मन्त्री महोदय से सिफारिश करुंगा कि उसे स्वीकार कर लिया जाये।

संशोधन संख्या १९ का उद्देश्य यह है कि सरकार इस अधिनियम के अमल में आते ही एक मजूरी बोर्ड बनाया जाये १९५८ के अधिनियम में यह कहा गया था कि आदेश जारी होने के तीन वर्ष के भीतर मजूरी बोर्ड की नियुक्ति हो जाये तथापि तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी मजूरी बोर्ड नियुक्त नहीं किया गया इससे पत्रकारों में सन्देह पैदा हो जाना स्वाभाविक है।

संशोधन संख्या २१ में मैंने यह अवधि २१दिन रखी है। मैं चाहता हूं कि सरकार ९० दिन के भीतर इस मामले का निश्चय कर लेवे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संशोधन संख्या २१, २२, ५१ और ५४ स्वीकार कर लिये जायें।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** जहां तक संशोधन संख्या ४८ का सम्बन्ध है, १९५५ के अधिनियम के अधीन अखबार की परिभाषा के अन्तर्गत साप्ताहिक, त्रैमासिक तथा अन्य पत्र आ जाते हैं।

मैं श्री भट्टाचार्य के संशोधन के विषय में यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान खण्ड काफी अच्छा है। सरकार आदेश को सामान्यतः १ महीने के भीतर प्रकाशित कर देती है। अत. वर्तमान शब्दावली काफी ठीक है।

मैं संशोधन २२ को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। क्योंकि इस बात का उपबन्ध है कि नियोजन से बकाया राशि का भुगतान लिया जा सकता है।

मेरे विचार से संशोधन संख्या १८ आवश्यक नहीं है।

जहां तक संशोधन संख्या १९ का सम्बन्ध है, उसे स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं है बोर्ड के सदस्यों तथा उसके सभापति को चुनने की आरम्भिक कार्यवाहियां हो रही हैं तथापि आपातकाल में इस बोर्ड का गठन किया जा सकता है या नहीं इस पर विचार करना होगा।

श्री दाजी और श्री स० मो० बनर्जी के संशोधनों का यह परिणाम होगा कि धारा ११ हटा ली जाये धारा ११ में दी गयी सभी शक्तियां बोर्ड को उचित काम करने के लिये आवश्यक हैं। अतः मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० रा० पट्टाभिरामन]

श्री दाजी का संशोधन संख्या ५ स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वांछनीय है कि सरकार को सिफारिशों में छोटे मोटे परिवर्तन करने की शक्ति होनी चाहिये।

जहां तक श्री दाजी, इन्द्रजीत गुप्त के संशोधनों का तात्पर्य है बोर्ड के अधीन केवल श्रमजीवी पत्रकार ही आ सकते हैं अन्य नहीं उन्होंने कहा है कि मजूरी बोर्ड में दो स्वतन्त्र सदस्य नहीं होने चाहियें। इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि अन्य कई बोर्ड ऐसे हैं जिनमें दो स्वतन्त्र सदस्य होते हैं। पहिले भी ऐसे दो गैर सरकारी व्यक्तियों के रखने से मजूरी बोर्ड को एकमत प्रतिवेदन बनाने में सहायता मिली है। प्रतिवेदनों के सर्वसम्मत होने से यह सहायता मिलती है कि सम्बन्धित उद्योगों में उनकी क्रियान्वित लगभग पूरी होती है।

अभी तक के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि इससे उद्योग तथा श्रमिकों के बीच मतभेद को पाटने में बहुत सहायता मिलती है। ब्रिटेन में भी यही परम्परा है। वहां के मजूरी बोर्डों में गैर सरकारी व्यक्ति शामिल किये जाते हैं। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में जिस प्रकार का उपबंध किया गया है वही वांछनीय प्रतीत होता है।

†**श्री वारियर** : मैं अपने संशोधन संख्या ४८ और ४९ वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या ४८ और ४९ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सरकारी संशोधन संख्या ७१ प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७—पंक्ति ९ के बाद निम्न शब्द रख दिये जायें :

"Power of Government to fix interim rates of wages.

13A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where the Central Government is of opinion that it is necessary so to do, it may after consultation with the Board, by notification in the Official Gazette, fix interim rates of wages in respect of working journalists.

(2) Any interim rates of wages so fixed shall be binding on all employers in relation to newspaper establishments and every working journalist shall be entitled to be paid wages at a rate which shall, in no case, be less than interim rate wages fixed under sub-section (1).

(3) Any interim rates of wages fixed under sub-section (1) shall remain in force until the order of the Central Government under section 12 comes into operation."

[मजूरी की अन्तरिम दरे निर्धारित करने सम्बन्धी सरकार की शक्ति

१३-क. (१) इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी, जहां पर केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि श्रमजीवी पत्रकारों की मजूरी की अन्तरिम दरें निर्धारित करना आवश्यक है, वह बोर्ड से परामर्श करके सरकारी गजट में घोषणा निकाल कर, निर्धारित कर सकता है।

(२) इस प्रकार से निर्धारित की हुई अन्तरिम दरे, समाचार पत्रों के सभी संस्थापनों के नियोजकों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगी। और प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार को उपधारा (१) के अन्तर्गत निर्धारित अंतरिम मजूरी की दरों से कम दर पर किसी भी अवस्था में मजूरी नहीं दी जायेगी।

(३) उपधारा (१) के अन्तर्गत निर्धारित मजूरी की कोई भी अन्तरिम दरे उस समय तक लागू होंगी जब तक धारा १२ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का आदेश लागू नहीं होता।] (७१)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या, १८, १६, २१, २२, २३, ५१, ५३, ५४, ५६, ६० और ६३ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३, ६१, ६४ और २० मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ संशोधित रूप में जोड़ दिया गया।

खंड ५ (धारा १७ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५, पंक्ति १३,—

"Newspaper employee" ("समाचार पत्र कर्मचारी") के पश्चात् निम्न शब्द रख दिये जायें :

'himself, or any person authorised by him in writing in this behalf or in the case of the death of the employee, any member of his family. "

(स्वयं अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे उसके द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित रूप से प्राधिकार दिया गया हो, अथवा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर, उसके परिवार का कोई सदस्य)　(७२)

†**श्री प्र० ना० विद्यालंकार** : मैं संशोधन संख्या २६ वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं संशोधन संख्या २४, २५, २६ और २७ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४, २५,२६ और २७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति १३,—

"Newspaper employee" (समाचार पत्र कर्मचारी) के पश्चात् निम्न शब्द रख दिये जायें :

"himself or any person authorised by him in writing in this behalf, or in the case of the death of the employee, any member of his family."

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

[स्वयं अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे उसके द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित रूप से प्राधिकार दिया गया हो, अथवा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर, उसके परिवार का कोई सदस्य] (७२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

खंड ६ और ७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ८ (नई धारा १६-क और १६-ख की निविष्ट)

†**श्री दाजी** : मैं संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बड़े** : मैं संशोधन संख्या ५६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री दाजी** : मैं अपने संशोधन के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने उन्हें समझौते का आश्वासन दिया है अतः सरकार को अपना वचन पूरा करना चाहिए।

†**श्री वारियर** : हमें मंत्री महोदय के तर्कों से संतोष नहीं हुआ है। वस्तुतः इन गैर सरकारी श्रमिकों को सरकारी श्रमिकों से कहीं अधिक वेतन व सुविधायें मिल रही हैं। यदि ऐसी ही बात है तो इन शब्दों को रहने दिया जाये।

†**श्री बड़े** : मैं ने यह संशोधन दिया है कि खण्ड १६(ख) उन कर्मचारियों पर न लागू किया जाये जो पहले ही सरकारी नौकरी में हैं। माननीय उपमंत्री ने कहा है उन को उपदान और काम के घण्टों के मामले में लाभ हुआ था। संस्था ने ७ नवम्बर, १६६२ को पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने इन सब तर्कों का विरोध किया है। जो माननीय मंत्री ने कहा वह सही नहीं है। अतः मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ऐसा कहा गया है कि सरकारी मुद्रणालयों में काम करने वाले पत्रकारों की अवस्था सामान्यतः अच्छी है। इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाना चाहिए तभी हम इस खण्ड के बारे में निर्णय कर सकते हैं। प्रस्तावित खण्ड १६ (ख) को इसलिए हटा देना चाहिए कि वह विवादपूर्ण है तथा सरकारी मुद्रणालयों में सेवायुक्त पत्रकारों के लिए अहितकर है।

†**डा० मा० श्री० अणे** : सरकारी और गैर सरकारी मुद्रणालयों की सेवाओं में भेद किया जाता है। यह तो "टैक्नीकल" भेद है। यदि दोनों के उत्तरदायित्व एक ही प्रकार हों, तो सरकार को उन्हें बराबर समझना चाहिए।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं ने पहले ही कहा है कि हम सरकारी कर्मचारियों की गैर सरकारी क्षेत्र में श्रमजीवी पत्रकारों के साथ तुलना नहीं कर सकते। जहां तक सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

नौकरी में पत्रकारों का सम्बन्ध है वे ऐसी पत्रिकाएं तैयार करते हैं जो उन के ही लिए उपयोगी हैं जो कि उस विषय में दिलचस्पी रखते हों। दूसरी ओर गैर सरकारी क्षेत्र में श्रमजीवी पत्रकार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

इन लोगों की सेवा की शर्तें इस प्रकार हैं। सरकारी कर्मचारी के लिए जितनी अवधि के लिए वह काम पर रहता है उस का १/११वां भाग उसे अर्जित अवकाश मिलता है जो कि १८० दिनों तक एकत्रित किया जा सकता है। एक ही समय पर १२० दिन तक अवकाश मिल सकता है। इस के मुकाबले में गैर सरकारी क्षेत्र में श्रमजीवी पत्रकारों को ११ महीने के काम करने पर एक महीने की छुट्टी मिलती है और अधिक से अधिक ९० दिन तक की छुट्टी मिल सकती है।

सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष की नौकरी पर २० दिन के लिए आधे वेतन पर छुट्टी मिलती है। यह पूरे वेतन की छुट्टी में भी बदली जा सकती है। सारी नौकरी में परिवर्तित छुट्टी अधिक से अधिक २४० दिनों की मिल सकती है। इसके मुकाबले में गैर सरकारी श्रमजीवी पत्रकार को प्रत्येक १८ महीनों के लिए एक महीने की आधे वेतन पर छुट्टी मिलती है। अधिक से अधिक ९० दिन की हो सकती है। ऐसी सेवा की शर्तें हैं।

सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक सप्ताह में ३९ घण्टे काम करना पड़ता है। दूसरा शनिवार की छुट्टी मिलती है। गैर सरकारी श्रमजीवी पत्रकारों को ४ लगातार हफ्तों में १४४ घण्टे काम करना पड़ता है।

सरकारी पत्रकारों को १६ छुट्टियां मिलती हैं। श्रमजीवी पत्रकारों को १० छुट्टियां मिलती हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य योजना है, परन्तु श्रमजीवी पत्रकारों के लिए चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए मकान भी मिलते हैं। जिन्हें मकान नहीं मिलते हैं, उन्हें किराया मिलता है। श्रमजीवी पत्रकारों को न तो रहने के लिए मकान दिये जाते हैं और न किराया दिया जाता है।

जहां तक 'टर्मीनल' उपदान का सम्बन्ध है, एक महीने के वेतन का एक-तिहाई दिया जाता है यदि अस्थायी कर्मचारियों ने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। आभास-स्थायी कर्मचारी को आभासस्थायी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक महीने के वेतन का एक-तिहाई और मिलेगा। इस के अतिरिक्त अस्थायी व्यक्तियों के सम्बन्ध में तीन महीने के वेतन तक और आभास-स्थायी व्यक्तियों के सम्बन्ध में चार महीनों के वेतन तक मृत्यु उपदान मिल सकता है। श्रमजीवी पत्रकारों को प्रत्येक वर्ष की नौकरी के लिए १५ दिन का औसत वेतन उपदान मिल सकता है।

जहां तक निवृत्ति उत्पादन का सम्बन्ध है, सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की नोकरी के लिए आधे महीने का वेतन मिल सकता है। मृत्यु होने पर परिवार को उपदान १२ महीने का वेतन मिलता है। जो ५ वर्ष की नौकरी से पहले ही मर जाते हैं, उनके परिवारों को ६ महीनों के वेतन के बराबर मिलता है।

सरकारी कर्मचारियों को ८,१०० प्रति वर्ष तक पेंशन दस वर्ष की सेवा के बाद मिल सकती है। परिवार पेंशन भी मिल सकती है। श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन नहीं मिल सकती।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद ३११ का लाभ भी है। जब सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किया जाता है या नौकरी से हटाया जाता है । तो सर्वोच्च न्यायालय का यह मत रहा है कि पदावनति और निलम्बन भी दण्ड है। अतः सरकारी कर्मचारी अनुच्छेद ३११ का लाभ उठा सकेगा।

†श्री हरि विष्णु कामत : यदि सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अच्छी हैं तो वे श्रमजीवी पत्रकारों पर भी लागू होनी चाहिएं। कोई विभेद नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ मतदान के लिये रखा ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३१ विपक्ष में ६५

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड १० भी एक सरकारी संशोधन है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

पृष्ठ ११, पंक्तियां १० और ११ के लिए निम्न रख दिया जाए—

"(b) in section 9—

(i) in sub-section (1), for the words the working journalist may, the words, the working journalist himself, or any other person authorised by him in writing in this behalf or in the case of the death of the working journalist, any member of his family may, shall be substituted;

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—"

["(ख) धारा ६ में—

(i) उपधारा (१) में 'श्रमजीवी पत्रकार' शब्दों के स्थान पर 'श्रमजीवी पत्रकार स्वयं और इस कार्य के लिए उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अथवा श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु हो जाने की हालत में, उसके परिवार का कोई सदस्य' शब्द रख दिए जाएंगे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ii) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी; अर्थात् :—"] (७३)

†श्री चे० का० भट्टाचार्य : मेरे संशोधन संख्या ३२, ३३, ३४ हैं। संशोधन संख्या ३३ को काफी हद तक स्वीकार कर लिया गया है। संशोधन संख्या ३३ और ३४ को प्रस्तुत और वापिस लिए समझें जाएं। मैं संशोधन संख्या ३२ और ३४ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३२ और ३४ मतदान के लिये रखे गये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में ३० विपक्ष में ६७

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब में सरकारी संशोधन संख्या ७३ मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:—

पृष्ठ ११, पंक्तियां १० और ११ के लिए निम्न रख दिया जाए—

(b) in section 9—

(i) in sub-section 1, for the words 'the working journalist may' the words 'the working journalist himself' or any other person authorised by him in writing in this behalf or in the case of the death of 'the working journalist any member of his family may' shall be substituted ;

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—"

"[(ख) धारा ६ में—

(i) उपधारा (१) में 'श्रमजीवी पत्रकार' शब्दों के स्थान पर 'श्रमजीवी पत्रकार स्वयं, और इस कार्य के लिए उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अथवा श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु हो जाने की हालत में, उसके परिवार का कोई सदस्य' शब्द रख दिए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—"] (७३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है—

"कि खण्ड १० संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १० संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड १ के दो संशोधन हैं। उन्हें कोई प्रस्तुत नहीं कर रहा।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १ अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

व्यक्तिगत घाव (आपात कालीन उपबन्ध) विधेयक

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० भट्टाभिरामन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आपात काल में लगे हुए कुछ व्यक्तिगत घावों में सहायता देने के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

विधेयक का उद्देश्य, उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बता दिया गया है। इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को एक योजना बनाने के लिये शक्तियां प्रदान करना है जिसके अन्तर्गत सैनिक लोगों को व्यक्तिगत घावों के लिये वित्तीय सुविधा दी जाये। युद्ध काल में आपातकालीन व्यवस्था करने पर यह सुझाव हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को भी घाव आ सकते हैं जो कि नितांत असैनिक श्रेणी से होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था गत युद्ध में युद्ध घाव अध्यादेश १९४१ के अन्तर्गत की गई थी। परन्तु आज की स्थिति में वह व्यवस्था काफी नहीं है।

आधुनिक युद्ध में किसी को भी घाव आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से हमारे प्रतिरक्षा के प्रयत्नों से सम्बन्धित कामों अथवा सेवाओं में नियुक्त हों। अतः उनके परिवारों की सहायता व्यवस्था करना बड़ा ही जरूरी है। व्यक्तिगत आघात से कई लोग मर भी सकते हैं और रोजगार से भी नकारा हो सकते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखे बिना कि उसके घाव के समय आया की स्थिति क्या थी, उसे सहायता दी जायेगी।

वित्तीय राहत के अतिरिक्त, घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता रहेगी। अतः सरकार उन शक्तियों को प्राप्त करने का विचार करती है जिससे वह औषधालयों तथा अस्पतालों को निदेश दे सके कि वे उन कर्मचारियों के घावों के लिये चिकित्सा तथा "सर्जीकल" सुविधाएं दें जो वेतन प्राप्त हों अथवा नागरिक प्रतिरक्षा स्वंय सेवक हों। मुझे विश्वास है कि सदन इसकी आपातकालीन आवश्यकता को समझता हुआ इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्रीमती विमला देवी** (एलुरू) : हमारा देश आज युद्ध कालीन स्थिति से गुजर रहा है। इस स्थिति में यह विधेयक बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य बड़ा प्रशंसनीय है तथा इसका स्वागत किया जाना चाहिये। इस बारे में मेरा निवेदन है कि सहायता तो देनी चाहिये परन्तु यह उपबन्धित सहायता

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे ही सांकेतिक प्रकार की ही न होकर पर्याप्त होनी चाहिये। दूसरी बात यह है, योजना में मामलों को शीघ्र तथा न्यायपूर्ण ढंग से निपटाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। तीसरी बात यह है कि जब कि घावों का इलाज अस्पतालों में न हो, यदि वे लोग १०० रुपये प्रति मास से कम पाते हों तो उन्हें पूर्ण वेतन आदि मिलना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि घायल व्यक्तियों को नौकरशाही मनोवृत्ति वाले अन्यायी अधिकारियों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होना चाहिये।

विधेयक के खंड ३ के अन्तर्गत जो भी योजना बनाई जायेगी उसे संसद के सभा पटल पर रखी जानी चाहिये ताकि संसद् उस पर विचार करने का अवसर प्राप्त कर सके। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं।

†**डा० गायतोंडे** (नाम निर्देशित) (गोआ, दमन और दीव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का सवागत करता हूं। परन्तु निवेदन करना चाहता हूं। मेरा विचार है कि जब तक कोई नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम पारित नहीं हो जाता, यह विधेयक एक अलग थलग सा विधान जान पड़ता है जिस का समस्या के विभिन्न पहलुओं से कोई संबंध नहीं है।

समस्या यह है कि क्षतिपूर्ति धन का अनुमान कैसे किया जाय। जब तक हम यह नहीं जानते तब तक विधेयक का अधिक अर्थ नहीं रह जाता। हमें अनुमानित हानि का कुछ संकेत मिलना चाहिये तथा उस धन का भी जो इसके प्रभावों को कम करने के लिये आवश्यक है। विधेयक को पारित करने से ही काम नहीं चलेगा। सरकारी विशेषज्ञों को सारी समस्या का अध्ययन करना चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यद्यपि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ६९ में जिन बातों का उपबन्ध है उन्हें पूरा नहीं किया गया है क्योंकि वित्तीय ज्ञापन में विधेयक अन्तर्ग्रस्त आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का अनुमान नहीं दिया गया है। हम इस विधेयक के संबंध में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि उस नियम को संशोधित न किया जाय।

व्यक्तिगत घावों के संबंध में विधेयक लाने के पूर्व एक नागरिक सुरक्षा विधेयक पारित किया जाना चाहिये था। यह और भी अच्छा होता कि एक व्यापक नागरिक सुरक्षा विधेयक पुरःस्थापित किया जाता।

विधेयक के बहुत से उपबन्ध अस्पष्ट हैं। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों में सन्निहित कुछ वक्तव्यों के संबंध में कुछ अधिक रोशनी डाले जाने की जरूरत है। यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध के घावों संबंधी। १९४१ के अध्यादेश का निरसन क्यों नहीं किया गया अथवा उसको एक अधिनियम के रूप में क्यों नहीं परिवर्तित किया गया?

आशा है कि व्यक्तिगत एवं व्यक्तिगत सेवा के घावों का निर्धारण सहानुभति एवं समझदारी से किया जायेगा। एक अन्य पहलू के सम्बन्ध में भी यह विधेयक अनिश्चित है। युद्ध घाव योजना जैसी कोई चीज नहीं है जिसका निर्देश किया गया है। और यह बात स्पष्ट नहीं है कि १९४३ के अधिनियम के आधार पर प्रतिकर का आकलन कैसे किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बूटा सिंह (मोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पर्सनल इंजरीज़ (इमरजेंसी प्राविजंस) बिल हमारे सामने है, सरकार ने इस बिल को पेश करके इस बात का सबूत दिया है कि अपने देश की सुरक्षा के लिये जैसे हमारे फौजी नौजवान सरहदों के ऊपर दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं वैसे ही देश के अन्दर अपने देश की रक्षा के लिये जो शहरी या नागरिक दुश्मन का समना करेंगे, जो उन को इंजरीज़ होंगी, जख्मी होंगे, मर जायेंगे या उनको और मुश्किलात होंगी, ऐसे लोगों को सरकार ने इस में मुआविजा देने का वायदा किया है । यह एक अच्छी और स्वागत योग्य बात है जो कि रकार करने जा रही है और इस का तकरीबन इस हाउस के सब मेम्बरान समर्थन करेंगे । मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से इस बिल को वैलकम करता हूं ।

इस बिल में पेज़ २ पर क्लाज़ नम्बर २ (४) जो कि डैफनीशंस के बारे में है "गेनफुली औकुपाइड परसन" को इस तरह डिफाइन किया गया है :—

> "लाभप्रद रोजगार पर लगे व्यक्ति से मतलब उस व्यक्ति से है जो किसी व्यापार, व्यवसाय और अन्य किसी दफ्तर में रोजगार पर लगा है ।"

यहीं पर बस खत्म कर दिया है । अब यह एक सच्चाई है कि भारत वर्ष किसानों का देश है और इस में खेतीबाड़ी का काम करने वाले नागरिकों की संख्या सब से अधिक है । मुझे यह देख कर दुःख हुआ कि किसान जो कि इस देश की रक्षा करने के लिये किसी सिपाही से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं उन का सरकार ने इस में नाम तक नहीं लिखा । जैसा कि मिनिस्टर साहब ने यह बिल इंट्रोड्यूस करते वक्त बतलाया कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता इसलिये हुई कि मौजूदा लड़ाई के तरीके जो हैं वे बहुत पेचीदा हो चुके हैं । जो कि नागरिक ऐरियल बोम्बिंग से देश की रक्षा करते हुये मारे जायेंगे उन को मुआविजा देने की भी व्यवस्था की गई है । मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस बात को जरा और ध्यान से सोचें और देखें कि खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों पर जब हवाई जहाजों के जरिये बम गिरेंगे तो क्या उन को भी कोई मुआविजा देने का सरकार इरादा रखती है ? उन को इस सुविधा से महरूम रखना ठीक नहीं होगा और इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अगर इस बिल में खेतिहर मजदूरों को भी शामिल कर ले तो यह बिल मुक्कमिल हो जायेगा ।

दूसरी बात जो मैं आप के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल के पेज ४ पर क्लाज़ ६ (५) में यह दिया हुआ है :—

> "केन्द्रीय सरकार किसी समय योजना में संशोधन भी कर सकती है और उसे छोड़ भी सकती है ।"

मैं समझता हूं कि सरकार को यह इतनी बड़ी ताक़त दे देना इस हाउस की तरफ से वाजिब नहीं है कि गवर्नमेंट खुद स्कीम बनाये, जब चाहे उस को अमेंडमेंट कर से ले या चाहे तो उसे खत्म भी कर दे । मैं चाहता हूं कि जब भी किसी स्कीम को अमेंड करना हो या उस को खत्म करना हो, तो उस को इस हाउस के सामने रखना चाहिये और इस हाउस को ही इस बात की ताकत और इस बात का अधिकार होना चाहिये कि वह उस को अमेंड कर सके या उस को खत्म कर सके ।

क्लाज़ ३ (६) में कहा गया है कि योजना में समय-समय पर परिवर्तन भी हो सकता है । आज तक हम ने ऐसा कोई कानून नहीं देखा है, जिस में यह भी लिखा हुआ हो कि इट विल वेरी फ्राम टाइम टु टाइम । मैं चाहता हूं कि चूंकि अभी तक हम को टाइम टु टाइम वेरी करने का अर्थ नहीं बताया गया है, इसलिये सरकार इस बात में अपनी नीति को और स्पष्ट करे और इस मामले को निश्चित तौर पर तय कर दिया जाये ।

इस के आगे यह लिखा हुआ है :—

"जो भी परिवर्तन होगा वह अन्तिम होगा ।"

मैं चाहता हूं कि सरकार को यह ताकत और अधिकार दिया जा रहा है, उस के साथ ही यह भी प्रोवाइड करना चाहिये कि अगर किसी आफिसर या अथारिटी ने इस बारे में कोई ऐसा डिसिजन कर दिया है, जो कि जायज नहीं है या जिस के खिलाफ किसी को शिकायत हो, तो एग्रीव्ड पार्टी को हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक होगा ।

मेरा हल्का बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ लगता है—मेरा मतलब वागहा पुराना से है—और वहां पर जब किसान खेत को जाता है, तो उस के एक हाथ में राइफल होती है और दूसरे हाथ में हल होता है । ऐसे एक नहीं, बल्कि सैकड़ों इन्सिडेंट्स हमारे ध्यान में लाये गये हैं, जिन में खेत-मजदूरों और किसानों को चोट आई या जख्मी हो गये । १९४१ का आर्डिनेंस, जिस को कानून की शक्ल देने के लिये यह बिल लाया गया है, अभी तक इनफोर्स रहा है । लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि उस के जरिये एक भी केस नहीं लिया गया और किसी को पेमेंट नहीं की गई । मैं चाहता हूं कि मौजूदा इमर्जेंसी के लिये सरकार जो यह बिल हाउस के सामने लाई है, इस के पास होने के बाद इस के बारे में भी सरकार वैसा ही रवैया अख्त्यार न करे ।

पेमेंट देने के सिलसिले में इंस्टीट्यूशन्स और आरगनाइजेशन रेकगनाइज्ड बाई गवर्नमेंट की बात कही गई है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह लड़ाई का टाइम है, इस में रेकगनीशन का क्या मतलब है । जहां भी नागरिक इकट्ठे होकर अपने देश की हिफाजत और दुश्मन का मुकाबिला करने के लिये लड़ते हैं, वहां पर किसी आरगनाइजेशन को रेकगनीशन की सवाल नहीं होना चाहिये । रेकगनीशन का मतलब यह है कि पार्टी इन पावर जिस को रेकगनाइज करे, क्यों कि सरकार के पास उन्हीं के नाम जायेंगे, जिनकी कांग्रेस सिफारिश करेगी । इसलिये इस किस्म के प्राविजन को बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिये । देश की रक्षा करने के लिये किसान, मजदूर और दूसरे नागरिक जहां भी संगठित हो कर कोई भी यत्न करते हैं और किसी हमले में वे जख्मी हो जाते हैं, तो उन को कम्पन्सेशन दिये जाने के बारे में रेकगनीशन का सवाल नहीं होना चाहिये ।

मैं चाहता हूं कि जिन बातों की तरफ मैंने आप के जरिये माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, वह उन पर विचार करें और अपनी नीति को स्पष्ट करें ।

श्री अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकट-कालीन स्थिति में इस बिल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विदेशी आक्रमण और युद्ध के समय जो वालन्टियर्ज, होम गार्ड्ज या रक्षा दल वगैरह के लोग डिफेंस का काम करते हैं, अगर उन के लिये कोई इस प्रकार की व्यवस्था न की जाय, तो उन में काम करने का उत्साह नहीं होगा । इंग्लैंड की नजीर हमारे सामने है । जब जर्मनी ने हमला किया, तो इंग्लैंड पर बहुत बड़े पैमाने पर बम्बिंग किया गया, जिस के परिणामस्वरूप लाखों मकान गिर गये और लाखों आदमी घायल हुये । सरकार ने उन लोगों की मदद की । इसी प्रकार हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुये इस बिल को पास करना बहुत आवश्यक है ।

एक माननीय सदस्य ने यह ऐतराज किया है कि इस में रुपये की कोई निश्चित तादाद नहीं बताई गई है । मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त कोई रकम कैसे निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि अभी बम्बिंग वगैरह शुरू नहीं हुआ है और अभी इस बारे में कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता है । मैं बताना चाहता हूं कि जब चीन का एग्रेशन हुआ, तो फिनांस मिनिस्टर ने उस का मुकाबिला करने

[श्री अचल सिंह]

के लिये १०० करोड़ रुपये की रकम मांगी। इसी तरह जब मौका आयेगा, तो सरकार एक स्पेसिफिक रकम की मांग ले कर हाउस के सामने आ जायेगी।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस बिल का पास होना निहायत जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस वक्त रक्षा-कार्यों में लगे हुए हैं, उन को इस से काम करने का उत्साह मिलेगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस बिल को पास किया जायेगा।

†श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : यह विधेयक बड़ा आवश्यक है, मैं इसका समर्थन करता हूं। खंड २ और ३ के अन्तर्गत व्यक्तिगत आघात की परिभाषा तो की गयी है परन्तु इसके अन्तर्गत जो योजना बनेगी उसे संसद के सभा पटल पर रखने की कोई व्यवस्था नहीं ताकि संसद् उसकी छानबीन कर सके।

[श्री मूलचन्द दूबे पीठासीन हुए]

मेरा निवेदन यह है कि एक उपबन्ध रखा जाय जिसके अन्तर्गत युद्ध में आये घावों सम्बन्धी क्षतिपूर्ति के भुगतान की योजना को संसद् के सदनों के पटल पर रखा जा सके। इसके बिना इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकेगा।

इस सम्बन्ध में मेरा यह भी निवेदन है कि नागरिक प्रतिरक्षा के लिये अलग विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम में उसके लिये पर्याप्त व्यवस्था है। फिर भी विधेयक में "नागरिक प्रतिरक्षा" शब्दों की परिभाषा शामिल की जाय। यह भी ठीक है कि इस समय विधेयक में होने वाले व्यय का ठीक अनुमान नहीं दिया जा सकता। आशा है कि सरकार नागरिक प्रतिरक्षा के लिये पर्याप्त उपाय करेगी। इस बारे में संशोधन वापिस ले लेने चाहियें। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, इस समय इस विधेयक की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमने तो कभी युद्ध की बात सोची भी नहीं थी परन्तु हमारे पड़ोसी मित्र ने हमें ऐसा करने पर बाध्य किया है। हम इस बात पर कटिबद्ध हैं कि एक-एक इंच भूमि चीनियों से मुक्त करायेंगे। परन्तु इस सन्दर्भ में हमें एक बात समझनी चाहिये कि हमारा वास्ता एक बेशर्म और बर्बर शत्रु से पड़ा है। समझौते के बारे में वे ईमानदार नहीं है।

यह विधेयक इस समय आवश्यक है। दुर्भाग्य से इसमें वैयक्तिक घावों के लिये दी जा रही क्षतिपूर्ति धन के अनुमान का संकेत नहीं दिया गया। सरकार सुनिश्चित करेगी कि विधेयक के सभी उपबन्धों को भली प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा तथा ऐसा कोई भ्रष्टाचार न होने पायेगा जैसा कि राजधानी में हवाई हमले से बम्बों से होने वाले घावों से बचने के लिये दीवारों के बनाने के बारे में हुआ है। मेरा निवेदन है कि विधेयक के अन्तर्गत समस्त नियम तथा बनाई जाने वाली योजना को सभा के पटल पर रखा जाये।

श्री बड़े : सभापति महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है, इसका हर कोई स्वागत ही करेगा। चीन ने हमारे साथ धोखेबाजी की है, उस ने हम पर हमला किया है और इस

---

†मूल अंग्रेजी में

हमले के कारण जो नुक्सान होने वाला है या जो परसनल इंजरीज होने वाली हैं, उनके लिए कम्पें-सेशन देने के उद्देश्य से यह जो बिल यहां पेश किया गया है, इसका हर कोई स्वागत ही कर सकता है ।

लेकिन जब मैं इस बिल को पढ़ता हूं तो पाता हूं कि शासन ने बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही हरीडली, इसे तैयार किया है । इसकी जो प्रोविजंज हैं, वे बराबर नहीं हैं, डेफीनीशंज नहीं दी गई हैं, प्लानिंग तो है लेकिन डिटेल्ज नहीं हैं, स्कीम नहीं है । मैं समझता हूं कि इतनी हरीडली और इतने हैपहैज़र्ड वे में आज तक कोई भी बिल सरकार की तरफ से तैयार नहीं किया गया है । इस तरह से कोई बिल ला कर रख दिया गया हो, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है । यदि यह एनैक्टमेंट पास भी हो जाये तो भी इस के वास्ते यह शंका पैदा हो गई है कि हम को अलग से जुडिशल कोर्ट्स बिठलाने पड़ेंगे या इंटरप्रेटर्स बिठलाने पड़ेंगे । इस लिये जब शासन से कहा गया कि उस को इस में एक फाइनेन्शल मेमोरैन्डम रखना चाहिये था, कोई ऐप्राक्सिमेट अमाउंट इस में रखना चाहिये था, तो शासन ने कहा कि वह इम्पासिबल है, वह इस समय नहीं हो सकता । यह भी मान लिया गया, लेकिन ऐक्ट बनाते समय तो उस के सामने कोई प्लैनिंग होनी चाहिये थी । मैं आप को इसकी कुछ वर्डिंग्स बतलाता हूं । इस में पेज ३ पर यह स्कीम है : (८) "योजना" का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनी योजना । अन्डर दिस ऐक्ट आखिर कौन सी स्कीम होने वाली है ? कौन सी सरकार की योजना है, इस के बारे में यह हाउस बिल्कुल अन्धकार में है । अगर किसी को ऐसे वक्त में इंजरी हो गई तो उस को कैसे कम्पेन्सेशन दिया जायेगा ?

फिर इस में सिविल डिफेन्स वालेंटिअर्स की डेफिनिशन दी है :

"यानी सिविल डिफेन्स वालेंटिअर वह समझा जायेगा जिस को सेंट्रल गवर्नमेंट की अथारिटी या सर्टिफिकेट दिया जायेगा । उस के अलावां जो दूसरे वालेंटिअर हैं, गांव के आस पास के लोग हैं, जो वहां की जनता है वह अगर बम्बार्डमेंट या अटैक के समय में मदद करती है तो उसे सिविल डिफेन्स वालेंटिअर नहीं समझा जायेगा । केवल भारत सेवक समाज के लोगों को ही वालेंटिअर समझा जायेगा । और किसी को भी वालेंटिअर नहीं समझा जायेगा, यह इस का स्पष्ट मतलब होता है ।" इस के बजाये सिविल डिफेन्स वालेंटिअर की यह डेफिनिशन होनी चाहिये थी :

"असैनिक स्वयं-सेवक का अर्थ है वे सभी व्यक्ति जो आक्रमण या गोलाबारी के दिनों होती है ।"

अगर ऐसी डेफिनिशन होती तो वह ज्यादा वाइड होती और उस से लोगों का ज्यादा समाधान होता । यहां पर सिविल डिफेन्स आर्गेनाइजेशन के बारे में दिया है : "असैनिक प्रतिरक्षा संगठन" का अर्थ है असैनिक प्रतिरक्षा के लिए बनाया गया संगठन ।"

वह कौन सी स्कीम होगी ? ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिस के अन्तर्गत सिविल डिफेन्स आर्गेनाइजेशन या सिविल डिफैन्स वालेंटिअर्स आये । इस स्कीम के अन्दर कोई अथारिटी होगी, वह अथारिटी सर्टिफाई कर देगी तब उस को सिविल डिफेन्स अथारिटी समझा जायेगा । इस के बारे में हाउस को बिल्कुल अन्धकार में रक्खा जाता है । शासन के माइन्ड में कंफ्यूजन है, उस के अन्दर कोई क्लिअर आइडिया नहीं है । वह कब और कैसी सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स और डिफेन्स वालेंटिअर्स तैयार करेगी । इस के सम्बन्ध में गांव गांव में लोग आकाश की तरफ देखते हैं । वह

[श्री बड़े]

शासन की तरफ देखते हैं कि शासन उन को आदेश दे कि कौन सी सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स होगी। उस के लिये अथारिटी कौन सी होगी जिस को ऐप्रोच करना होगा ? **देअर इज नो स्कीम ऐट आल**। शासन अन्धकार में है, जनता अन्धकार में है, सब लोग अन्धकार में हैं और वह नैचुरल है। पन्द्रह साल आराम करने के बाद एक दम से हम को हमले का सामना करना पड़ा है। इस लिये तैयारी जल्दी नहीं हो सकती। लेकिन सेकेन्ड वर्ल्ड वार आप के सामने हो चुकी है। सेकेन्ड वर्ल्ड वा में आर्डिनेन्स पास हुए थे। उन में जो स्कीमें थीं उन को सामने रख कर अगर आप योजना बनाते तब भी काम चल सकता था। लेकिन आज अन्धकार ही अन्धकार है। सब कुछ अन्धकारमय मालूम होता है, हाउस में अन्धकार शासन, में अन्धकार और बिल में भी इस के बारे में कोई योजना नहीं। केवल यह बतला दिया गया है कि शासन को यह अधिकार दिया जाय कि वह सिविल डिफेन्स पर्सनल इंजरीज बिल लाये और जो कुछ चाहे करे। **व्हाट एवर दि गवर्नमेंट वान्टस टु डू, दि गवर्नमेंट शुड डू फार पर्सनल इंजरीज**। अगर आप इतना ही कह दें तो हम यह अथारिटी आप को दे दे। **दैट इज दि सब ऐंड सब्स्टेंनस आफ दि बिल**। इस में और कुछ नहीं है।

दूसरी बात यह बतलाई है:

"लाभदायक पद पर काम करने वाले व्यक्तियों को लगी चोट"

इस के बारे में आप ने जो डेफिनिशन दी है वह बड़ी वाइड है।

> "लाभदायिक पद पर लगे व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो व्यापार, आदि कुछ भी काम करता हो पर उस पर पूर्णतया निर्भर हो, या वह व्यक्ति जो स्थायी रूप में बेकार हो परन्तु सामान्यतया ऐसा कार्य करता हो और उस पर निर्भर हो।"

इस की डेफिनिशन भी बड़ी वाइड है। इस का तो कुछ मतलब ही नहीं होता। इस के अन्तर्गत स्कीम होगी। **व्हाट इज दैट स्कीम**? ऊपर लिखा है "**अन्डर दैट स्कीम**" वह स्कीम क्या है?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: खण्ड ३।

श्री बड़े: मैं क्लाज़ ३ पढ़ रहा हूं। **व्हाट आर दोज स्कीम्स**? केन्द्रीय सरकार योजना या योजनायें बना सकती है। उस स्कीम के बारे में कोई चीज सामने नहीं आ रही है। थोड़े दिन हुए सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुई थी। उस में तरह-तरह की स्कीमें बनाई गई थीं। उस वक्त सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स तैयार हुई थी, सिविल गार्ड्स तैयार हुए थे। गांव के वालेंटिअर्स और उन वालेंटिअर्स को मदद करने वाले भी अगर हताहत होते थे उन को भी मदद मिलती थी। लेकिन इस के बारे में इस बिल में कुछ नहीं है। केवल गवर्नमेंट के अथोराइज्ड वालेंटिअर्स होंगे जिन को इस में रिकग्नाइज किया गया है।

इस के बाद आप देखिये कि कम्पेन्सेशन देने की अथारिटी कौन है? वह भी शासन निश्चित करेगा। इस के बारे में कोई जुडिशल बाडी या ट्राइब्यूनल या अथारिटी, या तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट, मैजिस्ट्रेट कोई नहीं है। **देअर इज नथिंग इन दिस**। इस के बारे में जो बिल बनाया जा रहा है वह

---

†मूल अंग्रेजी में

बिल्कुल हैफजहैर्ड है । मैंने विधान सभा में भी इस तरह का बिल नहीं देखा और न इस हाउस में मैं ने आज तक देखा है । ऐसा बिल कभी आया ही नहीं है । इस बिल में कंफ्यूजन ज्यादा है, कोई शिकायत चीज निश्चित नहीं है शासन के सामने ।

फिर इसमें दिया हुआ है

"असैनिक प्रतिरक्षा स्वयं सेवक, उसके मालिक या स्वयं सेवक के कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आई चोट के मामले में"

इस के क्या माने हैं ? आखिर वालेंट्री ड्यूटीज़ के लिये कोई रिस्पांसिबल भी है या नहीं है ? इसके कोई मतलब नहीं हैं । सेकेन्ड वार के समय में जो इमर्जेन्सी एनक्टमेंटस आये थे उन में स्कीम्स बनी थीं । अगर उन स्कीम्स के आधार पर डेफिनिट योजना शासन देश के सामने रखता और उस के बाद यह बिल लाता तो मैं समझता हूं कि जनता भी आप को धन्यवाद देती कि पार्लियामेंट ने कुछ काम किया और आप के समय का भी कुछ सदुपयोग मालूम होता । लेकिन चूंकि पर्सनल इंजरीज (इमर्जेन्सी प्राविजन्स) बिल यहां शासन द्वारा लाया गया है, इस से मालूम होता है कि शासन का लक्ष्य उस की तरफ है, यह इंडिकेट करता है कि शासन आज जाग्रत है, और इस के लिये मैं शासन को धन्यवाद देता हूं ।

इस के साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं । अच्छी तरह से योजना बना कर सब स्टेटस को अलग-अलग भेजना चाहिये कि किस प्रकार से सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स तैयार हो सकती है । अगर आप इस तरह से योजना तैयार कर के सब स्टेट्स को भेजेंगे तो मैं कहता हूं कि हम शासन को धन्यवाद देंगे कि उस ने कुछ काम की बात की ।

इतना कहते हुए मैं इस पर्सनल इंजरीज (इमर्जेन्सी प्राविजन्स) बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री कछवाय (देवास) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हाउस में कोरम पूरा नहीं है ।

†**सभापति महोदय : घंटी बज रही है । अब गणपूर्ति हो गई । डा० मा० श्री अणे ।**

†**डा० मा० श्री अणे** : (नागपुर) : पिछले युद्ध में एक असैनिक प्रतिरक्षा मंत्रालय बनाया गया था और डा० राघवेन्द्र राव उसके प्रभारी थे । वह उस समय इंगलैंड में थे जब जर्मन विमान प्रति दिन इंगलैंड पर बम गिराया करते थे । उनको वह अनुभव था और असैनिक प्रतिरक्षा के लिए किये गये सभी प्रबन्ध उन्हें ज्ञात थे । उन्होंने अपना मंत्रालय संभालने पर एक बड़ा वक्तव्य दिया जिसके आधार पर उस समय विभिन्न कार्यों के लिए असैनिक प्रतिरक्षा की गई । असैनिक प्रतिरक्षा का काम युद्ध आरम्भ होने के बाद होता ह । हवाई हमलों के कारण इसका बड़ा महत्व है । अतः मेरा सुझाव है कि यदि युद्ध लम्बा और भयंकर होने की संभावना है तो सरकार को असैनिक प्रतिरक्षा का कार्य एक एक अलग मंत्री को देने पर विचार करना चाहिये ।

हम यह नहीं जानते कि इस पर क्या व्यय होगा । ये प्राक्कलन की बात है । यद्यपि सरकार विभाग बनाने का अधिकार तो ले रही, परन्तु मुझे विश्वास है कि वह विभाग व्यय सभी प्रश्नों का अध्ययन करेगा और वे इस मामले के अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेंगे । इस विधेयक में सरकार व्यक्तिगत चोट के प्रतिकर का ही उपबन्ध नहीं कर रही है, अपितु देश में उचित असैनिक प्रतिरक्षा योजना का आरम्भ कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री अणे]

श्रीमान, हमारा सरकार से निवेदन है कि यह इस मामले में यथाशीघ्र, यथासंभ सावधानी से और यथासंभव व्यापक रुप में कार्यवाही करे ।

†श्री वारियर (त्रिचूर) श्रीमान, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु पूरी बात योजना के पटल पर रखे जाने पर ज्ञात होगी । जब तक यह रखी नहीं जाती, हम नहीं जानते कि

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं योजना सभा पटल पर रख दूंगा । मैं एक यह संशोधन भी स्वीकार कर रहा हूं जिससे सभी नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

†श्री वारियर : योजना के सामने आने से पता लगेगा कि इससे किसको, कितना लाभ होगा और किन चोटों पर विचार किया जायेगा । फिर, यह विधेयक केवल आपातकाल के लिए है । हो सकता है कि कोई चोट आपात काल में लगे लेकिन उसका प्रभाव बाद में मालूम पड़े । यह उपबन्ध उस समय पर भी लागू होना चाहिये ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : उस पर भी लागू है ।

†श्री वारियर : दूसरी बात यह है कि कोई मजदूर उत्पादन में और साथ ही असैनिक प्रतिरक्षा कार्य में लगा हो और उसे चोट आ जाये, तो उसे प्रतिकर इस योजना के अनुसार मिलेगा या प्रतिकर अधिनियम के अनुसार मिलेगा ।

चे० रा० पट्टाभिरमन : उसे लाभदायक पद पर होना चाहिये । दूसरी बात असैनिक प्रतिरक्षा की है । दोनों परिभाषायें दी हैं ।

†श्री वारियर : खंड ४ में उल्लेख है कि आपात काल में किसी अन्य व्यक्ति को लगी व्यक्तिगत चोट और असैनिक प्रतिरक्षा स्वयं सेवक की व्यक्तिगत सेवा चोट के लिए इस उपधारा के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई प्रतिकर या क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी ।

(१) कामगर प्रतिकर अधिनियम, १६२३, या

(२) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८ ।

मेरा मत है कि इसमें अधिक स्पष्टता होनी चाहिये । चोट लगने पर व्यक्ति को इस अधिनियम से अधिकतम लाभ होना चाहिये ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : श्रीमान, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । वर्ष १६४१ का युद्धकाल चोट अध्यादेश पहले से ही विद्यमान है । परन्तु उसमें इस विद्यमान वर्तमान युद्ध-संकट के मामले में कुछ खामियां देखी गई हैं । पहली बात यह है कि लाभदायक पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को लगी चोट और बाद में सरकार द्वारा बताई जाने वाली श्रेणी को लगी चोट पर यह कसे लागू होगा । दूसरी बात असैनिक प्रतिरक्षा स्वयं सेवकों के बारे में है । एक उपबन्ध किया गया है कि इस विधेयक के अधिनियमन बनने पर उन्हें भी लाभ मिल सके । फिर कारखानों आदि में काम करने वाले व्यक्तियों की है । इसमें उपबन्ध है कि उन्हें एक ही अधिनियमन के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होना चाहिये । यदि उन्हें कामगर प्रतिकर या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

---

†मूल अंग्रेजी में

के अन्तर्गत कम लाभ मिलता है, तो उस हालत में उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत पूरा लाभ मिलेगा। इस प्रकार मैं समझता हूं कि इस विधेयक का वर्तमान उद्देश्य बड़ा ही स्पष्ट है।

इस पर होने वाले व्यय के बारे में मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि अभी आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इस पर कितना व्यय होगा। फिर भी, मेरा निवेदन है कि इस कार्य के लिए कुछ राशि अलग रख दी जाये। कुछ माननीय मित्रों ने इस विधान के लागू होने में सन्देह प्रकट किया है। शत्रु की क्रिया से चोट लगने की बात खंड ३ में स्पष्ट है, उसके बारे में कोई उलझन नहीं है। इसी प्रकार, कर्मचारियों को कैसे चोट लग सकती है, इस सम्बन्ध में भी उपबन्धों की भी पूर्ण व्याख्या की गई है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि असैनिक प्रतिरक्षा योजना को पूरा होने पर कुछ बातों की ओर ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम, हमें राष्ट्रीय अनुशासन की भावना जाग्रत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, जब तक कि स्थानीय नेतृत्व नहीं होता, तब तक केन्द्र या राज्य स्थानीय क्षेत्र को कोई सहायता नहीं दे सकते। मान लीजिये कि कहीं बम गिरते हैं या मकान गिरते हैं तो जानकारी स्थानीय नेता से ही सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राप्त हो सकती है। अतः वहां विश्वास उत्पन्न करना है और इस प्रकार स्थानीय नेतृत्व बनाना अत्यावश्यक है। यह उद्देश्य अनुशासित ढंग से कार्य करने से ही हो सकता है।

एक बात यह कही गई है कि किसी व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट या डाक्टर को, प्राधिकार देते समय हमें देखना चाहिये कि वह व्यक्ति चरित्रवान है। ऐसा होने पर ही ये योजनायें सफल हो सकती हैं।

अन्त में मेरा निवेदन है कि सरकार को योजना बनाने में देर नहीं करनी चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†श्री मोहसिन (धारवाड़—दक्षिण): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक १९४१ के युद्धकाल चोट अध्यादेश के अनुसार प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह इस वर्तमान संकट में पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के लिए कोई उपचार नहीं कर सकता था। कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्तावित योजना का भी उल्लेख किया है और कुछ ने यह भी आलोचना की है कि सरकार को यह योजना इस विधेयक के साथ ही बना लेनी चाहिये थी। सरकार को ऐसा अधिकार देना होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लाभदायिक पदों पर काम करने वाले लोगों में वे लोग आयेंगे प्रतिरक्षा स्वयं सेवक न हों, और जिन्हें इस आक्रमण के कारण हानि हुई हो। पीड़ितों को पर्याप्त प्रतिकर देना राष्ट्र का कर्तव्य है। हम सरकार को यह कार्य करने का अधिकार ही दे रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने भेदभाव की बात भी कही है। मैं नहीं समझता कि सरकार स्वयं सेवकों में कोई भेदभाव करती है। इस समय सभी दलों को सरकार का समर्थन करना चाहिये। आशा है कि सरकार पीड़ितों को और भावी पीड़ितों को प्रतिकर देने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेगी।

हम असैनिक प्रतिरक्षा स्वयं सेवक बना रहे हैं। डा० अणे ने इसके महत्व पर पहले ही काफी जोर दिया है। इसकी आवश्यकता पहले महसूस नहीं की गई थी लेकिन अब की जायेगी। हो सकता है कि असैनिक प्रतिरक्षा स्वयंसेवकों के बिना हमारी सेना, वायु बल और नौसेना देश की रक्षा करने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहसिन]

के लिए पर्याप्त न हो। हमें असैनिक प्रतिरक्षा स्वयंसेवकों को शक्तिमान बनाना है और जहां भी वे पीड़ित होते हैं, सरकार को उन्हें भरसक सहायता देनी होगी।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं बड़े ही लाभदायिक सुझावों के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं आरम्भ में ही संशोधनों का उल्लेख कर दूं जिससे बात स्पष्ट हो जाये। मैं खण्ड पर आने पर विस्तारपूर्वक उनका उल्लेख करूंगा।

'कोई' या 'एक' के बारे में कुछ चर्चा थी। ये प्रासंगिक संशोधन हैं। इसे सभा पटल पर रखने के बारे में श्री कामत ने सुझाया था एक या दो मौखिक परिवर्तन किये जायें। यह उपयुक्त होगा और उसे स्वीकार कर लूंगा।

मैं श्री रंगा को याद दिलाता हूं कि शब्द "व्यापार, पेशा, कार्यालय, रोजगार या पेशा" काफी विस्तृत है। परिभाषा खण्ड २ में लाभदायिक पदों पर लगे व्यक्तियों की परिभाषा दी है और कहा गया है :

> "जो, अस्थायी रूप में बेकार समझता था, वह सामान्यतया काम पर लगा या निर्भर समझा जायेगा।"

हम इसे जानबूझ कर विस्तृत बना रहे हैं ताकि कृषि, बागान, आदि में लगे व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। विस्तृत में ही संकीर्ण समाता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कृषि का विशेष उल्लेख किया जाये। वर्गीकरण सदैव ही कठिन होता है। परन्तु ये मोटे-मोटे वर्ग हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि कृषि को शामिल करने की हमारी सच्ची इच्छा है।

श्री कामत ने कहा था कि उन्हें दुःख है कि हम स्वतन्त्र होकर भी अपना विधान ब्रिटिश विधान के ढंग का बना रहे हैं। आजकल वास्तव में अनेक अध्यादेश हैं। अनुच्छेद ३७२ में उल्लेख है :

> "(१) अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में ब प्रवृत्त विधि उस में तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित न की जाये।"

†श्री हरि विष्णु कामत : आप को उन्हें निरसित कर देना चाहिये था।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : अनिवार्य सेवा रख रखाव अध्यादेश है और भारत तथा बर्मा विविध उपबन्ध अधिनियम, १९४० से जारी है। यदि संसद् उन सब पर विचार करे, तो बहुत समय लगेगा। वास्तव में, हमारे पास पर्याप्त विधान है। अतः वे अनिवार्य सेवा रखरखाव अध्यादेश के अन्तर्गत आ जाते हैं। वे सब भारत तथा बर्मा विविध उपबन्ध अधिनियम के अंग हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे मान्यता संबंधी इस तर्क के बारे में कुछ और अधिक कहना चाहिये।

डा० गायतोंडे ने द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास का उल्लेख किया। वह गोआ से आये हैं और उन दिनों वह वास्तव में ब्रिटेन में थे। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, हम उनके आभारी हैं। रिचर्ड एम० टिटमस द्वारा लिखित 'प्रॉबलम्स ऑफ सोशल पॉलिसी" नामक एक पुस्तक है। इस के चैप्टर २ में

---

†मूल अंग्रेजी में

'भावी परिणामों' की व्याख्या है । मैं माननीय सदस्य, डा० अणे का बहुत आभारी हूं जिन्हों ने पुराने अधिनियम और उस व्यक्ति का, जिस ने वायसराय की कार्यकारी परिषद् में विधेयक बनाया, उल्लेख किया पुस्तक में कहा गया है :

"ब्रिटेन के असैनिकों के विरुद्ध किये जाने वाले आक्रमण के स्वरूप की प्रत्याशा से एक प्रश्न उठा : किस प्रकार के परिणाम होंगे और लोग कैसे कार्य करेंगे ?"

इस में डाले गय बम का मीटरिक टन बताया गया है कि प्रत्येक बम गिरने से कितने व्यक्ति मरे यह बड़ा व्यापक अध्ययन है । इस में आगे लिखा है :

"बड़े परिणामों, जिनकी प्रत्याशा की गयी और जिनके लिये योजनायें बनायी गयीं, को निम्न शीर्षकों में रखा जाता है ।"

आगे इस में लिखा है :

"शारीरिक घाव जिस में स्वास्थ्य पर प्रभाव ; जनहानि ; सामाजिक कष्ट, असंगठन और नैतिक पतन शामिल हैं ।"

†श्री रंगा (चित्तूर) : अच्छा हो, यदि आप हमारे संशोधन स्वीकार कर लें और इस में 'कृषि' भी शामिल कर लें ।

†श्री के० रा० पट्टाभिरामन : सत्य तो यह है कि मैंने कृषि का उल्लेख किया था । अब मैं इस मुख्य प्रश्न पर विचार कर रहा हूं कि हानि का अनुमान लगाना संभव है या नहीं । योजना को इस प्रकार निर्दिष्ट करना संभव है या नहीं ?

†श्री बड़े : ब्रिटिश आपातकालीन अधिनियम में कुछ योजना है । मैंने यह पुस्तकालय में देखी थी । परन्तु यहां पर राज्यों के लिये कोई योजना नहीं है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : इस अधिनियम के अन्तर्गत योजना बनाई जायेगी ।

†श्री के० रा० पट्टाभिरामन : खंड ३ के अन्तर्गत योजनायें बनाने के अधिकार दिये गये हैं । यदि आप मेरे से यह कहलाना चाहें कि यह युद्ध किस प्रकार का होगा और किस प्रकार के उपबन्ध किये जायेंगे तो यह बताना बहुत कठिन होगा । माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि इंग्लैंड में बमबारी के बावजूद क्या हुआ । इस पुस्तक में इस का मोटे तौर पर अनुमान दिया गया है कि एक टन बम से ५० व्यक्ति हताहत होंगे ; इस में आगे कहा गया है :

"जब इम्पीरियल प्रतिरक्षा समिति वर्ष १९३७ में हवाई हमलों से मरने वाले और घायल होने वाले असैनिकों को क्षतिपूर्ति देने पर विचार कर रही थी, उस में यह समझा गया कि हवाई हमले साठ दिन तक चलेंगे और कुल ६००,००० व्यक्ति मरेंगे और १,२०,००० घायल होंगे । क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजी व्यय का १२०,०००,००० पौंड का अनुमान लगाया गया । स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष १९३८-३९ में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या का अनुमान १,०००,००० से ले कर २,८००,००० तक लगाया । कबरों और कफ़नों की इतनी अधिक मात्रा में आवश्यकता थी कि गृह-कार्यालय ने सामूहिक दफ़न और दहन की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० रा० पट्टाभिरामन]

व्यवस्था की । यह इसलिए करना पड़ा कि वर्ना प्रत्येक मास लगभग ३ लाख पौंड के मूल्य की २०,०००,००० वर्ग फुट टिम्बर की आवश्यकता पड़ती ।"

इस में आगे कहा गया है :

"पांच वर्षों में कोई दिन ऐसा होगा जबकि शत्रु के विमान अथवा उड़न-बम अथवा राकेट ब्रिटेन के किसी भाग के ऊपर न उड़े हों । यद्यपि आक्रमणकारियों को चेतावनी नहीं दी गयी, आक्रमण का भय हमेशा बना रहता था ।"

यह सब उस एक देश की समस्या है जिस ने अक्सर युद्ध का सामना किया और इस के लिये तैयारी की ।

अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विधेयक के खंड ६ की ओर दिलाता हूं । इस में कहा गया है

"कोई भी व्यक्ति जो कोई औषधालय अथवा अस्पताल चला रहा हो, यदि उसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश दे तो वह—

क) धारा ३ की उप-धारा (१) में निर्दिष्ट स्वरूप के घाव पाने वाले व्यक्तियों की औषधालय अथवा अस्पताल में औषधीय तथा शल्य-चिकित्सा की व्यवस्था करेगा ; और

(ख) किसी योजना के अन्तर्गत अपेक्षित ऐसे घावों के लिये जिन व्यक्तियों का इलाज किया गया उनका रिकार्ड रखेगा और उनके सम्बन्ध में सरकार को पूरी जानकारी देगा ।

यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जायेगा । हमें कई औषधालयों, अस्पतालों, रुजालयों, आदि को ऐसा करने को कहा जायेगा । श्री कामत का एक संशोधन यह है कि 'अथवा रुजालय' शब्द शामिल किये जायें । वह इस पर जोर न डालें क्योंकि हमारा उपबन्ध सब को शामिल करने का है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आपातकाल में लगे हुए कुछ व्यक्तियत घावों के सम्बन्ध में सहायता देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २

†**श्रीमती शशांक मंजरी** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करती हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अपने संशोधन संख्या ४ से १३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दे० शि० पाटिल** (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति १—

" any country " "[किसी देश"] के स्थान पर " a country " ["एक देश"] शब्द रख दिये जायें । (३३)

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति १९—

"and includes any" ["और कोई शामिल है"] शब्दों के स्थान पर "or a" ["अथवा एक"] शब्द रख दिये जायें । (३५)

(२) पृष्ठ ३, पंक्तियां २ और ३—

"and includes any" ["और कोई शामिल है"] शब्दों के स्थान पर "or a" ["अथवा एक"] शब्द रख दिये जायें । (३६)

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं ने अपने संशोधन संख्या ४ से १३ तक इसलिये प्रस्तुत किये हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह व्याख्या संतोषप्रद नहीं है । भारत की प्रतिरक्षा विधेयक में यह इस प्रकार कहा गया है "किसी देश का कोई व्यक्ति जो आक्रमण करे ।" यदि आप मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं करते तो कम से कम भारत की प्रतिरक्षा विधेयक से परे तो न जायें । आप ने स्वयं कहा है कि इस में 'नागरिक प्रतिरक्षा' की व्याख्या की गयी है ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं इस पर श्री पाटिल के संशोधन संख्या ३३ को स्वीकार कर लूंगा ।

†श्री हरि विष्नु कामत : विधेयक का खंड २(५) इस प्रकार है :

'आपातकालीन अवधि वह अवधि है जो संविधान के अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अन्तर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की तिथि जो २६ अक्तूबर, १९६२ को जारी की गई थी और उस समय समाप्त होगी जब केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके उस तिथि की घोषणा करे जिस को आपातकाल समाप्त हो जायेगा ।"

मैं नहीं समझता कि यह उपबन्ध क्यों आवश्यक है । संविधान का अनुच्छेद ३५२ इस प्रकार है :

"(२) खंड (१) के अधीन की गई उद्घोषणा—

(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी ;

* * *

(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह उस कालावधि की समाप्ति से पहिले अनुमोदित न कर दी जाये ।"

अतः आपातकाल में या तो यह एक विशिष्ट उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रतिसंहृत की जाये या यह समाप्त हो जायेगी । अतः सरकार द्वारा यह उपबंध करना आवश्यक नहीं है कि "उस तिथि को समाप्त होगी जब केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित करे" । अतः सरकार मेरे दो संशोधनों में से एक स्वीकार कर ले ।

मेरा अगला संशोधन खंड २(६) पर विकलांगता और विरूपता के बारे में है । मैं 'बीमारी' शब्द के बाद "अथवा विकलांगता अथवा विरूपता" शब्द रखना चाहता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या "शारीरिक घाव" में "विरूपता" शामिल नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बड़े : श्री कामत कानूनी दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि "घाव" में शरीर अथवा मन को कोई भी चोट शामिल है । अतः इस में "विरूपता" भी शामिल है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरे माननीय मित्र, श्री बड़े एक वकील हैं मैं नहीं हूं । परन्तु इस पुस्तक का शीर्षक "शारीरिक घाव से क्षति" है और इसमें "विरूपता" का पृथक चैप्टर है । यदि सरकार का यह तर्क है कि "घाव" में "विरूपता" शामिल है, तो इसमें "रोग" और "विकलांगता" भी शामिल होनी चाहिये यदि "घाव" में "रोग" और "विकलांगता" शामिल होती है तो विधेयक में "रोग" और "विकलांगता" शब्दों की क्या आवश्यकता है ।

मेरा अन्तिम संशोधन पृष्ठ ३, पंक्ति ६ में "संवेदित" शब्द के बाद "इस बात के रहते हुए भी कि यह बाद में फैले" रखना है रोग के लिये भी उसकी प्रारम्भिक अवस्था की अवधि है अतः पहले ग्रस्त रोग बाद में बढ़ सकता है । इसमें आशंका की गुंजायश है और हमें नहीं पता कि इस बारे में अधिकारी वर्ग क्या निर्णय करेंगे कि रोग कब ग्रस्त हुआ था । मैं निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें ।

श्रीमती शारदा मंजरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लाज ३ में दो अमेंडमेंट दिये हैं उनका मूल आशय यह है कि एक बार यह स्कीम बन जाए फिर उसके बाद यह न हो कि सरकार जब चाहे तब उसको बदल दे । इस बात को मेरी पार्टी मानने को तैयार नहीं है । अगर किसी वक्त यह जरूरत मालूम हो कि इसको बदलना आवश्यक है तो ऐसा पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना न किया जाए ।

†श्री रंगा : मेरा आग्रह है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये और इसमें 'कृषि' शब्द जोड़ दिया जाये । क्योंकि जैसा मंत्री महोदय ने कहा है उसको अदालत तो नहीं मान सकती भले ही उनके कर्मचारी मान लें ।

†श्री सोनावने (पंढरपुर) : विधान-मंडल की राय पर न्यायालय ध्यान देते हैं । यह खंड इतना व्यापक है कि इसमें प्रोफेसर रंगा का संशोधन शामिल हो जाता है ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : पहले संशोधन को हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उद्घोषणा के प्रतिसंग्रहण के बाद भी आपातकाल जारी रह सकता है ।

मैं पहले श्री रंगा को बता चुका हूं कि यह अन्तिम बात नहीं है । इसमें कारखाने शामिल नहीं है, खानें शामिल नहीं हैं, अन्य बड़े संस्थान शामिल नहीं है और यदि कृषि को इसमें शामिल कर लिया जाये तो उद्यान-विद्या, रेशम-कीट पालन और बागानों आदि का क्या होगा ? हमने बताया है कि अंशतः नियोजित व्यक्ति जिसका मतलब है अधिकांशतः कृषक लोग परन्तु वे सब नहीं जो पूर्णतः नियोजित नहीं हैं और जिन्हें महीनों आराम मिलता है ।

जहां तक श्री पाटिल और श्री कामत के संशोधनों का सम्बन्ध है, 'शत्रु' शब्द की व्याख्या भारत की प्रतिरक्षा विधेयक से ली गयी है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है । जहां तक 'कोई' नये शब्द का सम्बन्ध है, श्री पाटिल के संशोधन से कमी दूर हो जायेगी ।

आपातकाल की तिथि वही नहीं हो सकती जो बतायी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक 'शारीरिक' शब्द का सम्बन्ध है, श्री कामत को बताया जा चुका है कि 'घाव' शब्द बड़ा व्यापक है 'शारीरिक' शब्द में विकलांगता शब्द भी शामिल होता है । विकलांगता में विरूपता शामिल है । अतः यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

जहां तक "तत्काल अथवा बाद में उत्पन्न हुए रोग" का सम्बन्ध है, यह व्यक्तिगत घाव की व्याख्या में शामिल है । अतः इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

विकलांगता में अस्थायी विकलांगता भी शामिल है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति १—

"any country" ["किसी देश"] के स्थान पर "a country" ["एक देश"] शब्द रख दिये जायें (३३)

(२) पृष्ठ २, पंक्ति १९—

"and includes any" ["और कोई शामिल है"] के स्थान पर "or a" ["अथवा एक"] शब्द रख दिये जायें । (३५)

(३) पृष्ठ ३, पंक्तियां २ और ३—

"and includes any" [और कोई शामिल है"] शब्दों के स्थान पर "or a" ["अथवा एक "] शब्द रख दिये जायें । (३६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या ४, ५, ६, ७ और ११ वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन संख्या ४, ५, ६, ७ और ११ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८, ९,१०, १२ और १३ मतदान के लिए रखे गये।

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में—७

विपक्ष में—५७

संशोधन अस्वीकृत हुए ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ व्यक्तिगत घाव और व्यक्तिगत सेवा घावों बारे में सहायता के लिये योजना बनाने का अधिकार

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपने संशोधन संख्या १४, १५, १६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक संशोधन संख्या २ और ३ का सम्बन्ध है, माननीया सदस्या. श्रीमती शशांक मंजरी अनुपस्थित हैं ।

श्री वारियर और श्री दाजी के नाम में क्रमशः संशोधन संख्या १८ और ३४ हैं ।

†**श्री वारियर** : मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत नहीं करता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने कहा था कि 'चोट' शब्द में 'अपंग' बनाना भी आ जाता है । परन्तु मैं उनका ध्यान इस विधेयक के पृष्ठ ३ पंक्ति ३५ की ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें यह दोनों शब्द आए हैं । जब चोट में अपंगता भी आ जाती है तो यहां पर दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है । इसलिए मेरा माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध है कि कृपा करके इस पर पुनः विचार करें क्योंकि युद्ध की चोटों के कारण व्यक्ति अपने अंग खो सकते हैं । यदि इन अंगों के लिए उचित धन की व्यवस्था हो जाये तो म समझता हूं कि ठीक होगा यद्यपि मानव अंग की पूर्ति धन से नहीं हो पाती है ।

†**श्री के० रा० पट्टाभिरामन** : अपंग के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं और मुझे इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति ५ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(7) Every scheme and every regulation made under a scheme, shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, both House agree in taking any modification in the scheme or the regulation or both Houses agree that the scheme or the regulation should not be made, the scheme or the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be ; so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that scheme or the regulation."

["(७) योजना के अधीन बनी प्रत्येक योजना तथा प्रत्येक विनियमन बनने के बाद जब संभव हो तब संसद में सभा पटल पर उस समय रख दिये जायेंगे जबकि उसका सत्र तीस दिन की कुल अवधि तक हुआ हो ; यह तीस दिन एक सत्र अथवा दो अथवा इससे अधिक की अवधि के हो सकते हैं और यदि उस सत्र की जिसमें यह सभा पटल पर रखा गया है अथवा उसमें बाद के उपरोक्त सत्रों की समाप्ति से पूर्व दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना अथवा विनियमन में रुपभेद हो अथवा दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना अथवा विनियमन न बनाये जायें तो योजना अथवा

†मूल अंग्रेजी में

विनियमन उसके बाद परिवर्तित रूप में लागू होंगे अथवा लागू नहीं होंगे, जैसा भी हो, परन्तु ऐसा रूप भेद अथवा निरसन उस योजना अथवा विनियमन के अधीन पहले की गई किसी कार्यवाही को मान्यता देने की विरोधी न होगी"।] (१७)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपने संशोधन संख्या १४, १५ और १६ वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या १४, १५ और १६ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति ५ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"(7) Every scheme and every regulation made under a scheme, shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the scheme or the regulation or both Houses agree that the scheme or the regulation should not be made, the scheme or the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that scheme or the regulation."

["(७) योजना के अधीन बनी प्रत्येक योजना तथा प्रत्येक विनियमन बनने के बाद जब सम्भव हो तब संसद् में सभा पटल पर उस समय रख दिये जायेंगे जबकि उसका सत्र तीस दिन की कुल अवधि तक हुआ हो; यह तीस दिन एक सत्र अथवा दो अथवा इससे अधिक की अवधि के हो सकते हैं और यदि उस सत्र की जिसमें यह सभा पटल पर रखा गया है अथवा उसमें बाद के उपरोक्त सत्रों की समाप्ति से पूर्व दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना अथवा विनियमन में रूपभेद हो अथवा दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना अथवा विनियमन न बनाए जायें तो योजना अथवा विनियमन उसके बाद परिवर्तित रूप में लागू होंगे अथवा लागू नहीं होंगे, जैसा भी हो, परन्तु ऐसा रूपभेद अथवा निरसन उस योजना अथवा विनियमन के अधीन पहले की गई किसी कार्यवाही को मान्यता देने की विरोधी न होगी"।] (१७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

खंड ३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४—संशोधन किया गया

पृष्ठ ४, पंक्ति १६ में से " other " ["अन्य"] शब्द हटा दिया जाय।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५—(आय के बारे में जानकारी)

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं अपने संशोधन संख्या १६, २०, २१, २२, २३, २४ तथा २५ प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड ५ (१) (ख) में केवल 'जानकारी' शब्द रखा गया है । मैं चाहता हूं कि इसके साथ 'सूचना' शब्द जोड़ दिया जाये क्योंकि अंग्रेजी भाषा तथा कानून में जहां भी कहीं 'जानकारी' शब्द आता है वहां पर 'सूचना' शब्द भी अवश्य रहता है । मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री मेरी बात मान लेंगे ।

अब मैं दण्ड के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । पहले भी जब तक विधेयक प्रस्तुत था तब उसके बारे में सभासदों की राय थी कि दण्ड कठोर होना चाहिए । इसीलिए मेरा सुझाव है कि केवल ५०० रुपये का दण्ड की व्यवस्था न रख करके उसमें कारावास की व्यवस्था भी करनी चाहिए ।

मैं खण्ड ५ में यह भी चाहता हूं कि 'सेवाचोट' के साथ साथ 'अथवा रोगी हो गया हो' शब्द भी रख दिये जायें । आपने पहले खण्ड में 'रोग' शब्द रखा है । मैं आशा करता हूं कि माननीय उपमन्त्री मेरी बात समझेंगे ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** 'जानकारी' शब्द व्यापक है और 'सूचना' शब्द रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

हमने पहले रोग शब्द एक खास प्रयोजन के लिए रखा है इसलिए उसको यहां पर रखने की कोई जरूरत नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं संशोधन संख्या १६ के अतिरिक्त अन्य संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन संख्या २०, २१, २२, २३, २४ और २५ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६—

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं अपने संशोधन संख्या २६, २७, २८, २६ तथा ३० प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं चाहता हूं कि, 'डिस्पैन्सरी अथवा अस्पताल' के साथ साथ 'क्लीनिक' शब्द को रखा जाये क्योंकि बहुत से व्यक्ति क्लीनिकों में अपना इलाज कराना पसन्द करेंगे क्या यदि। यह शब्द नहीं रखा गया तो उनको इससे वंचित हो जाना पड़ेगा।

मैं अपने संशोधनों के द्वारा चाहता हूं कि इसमें जिन दण्डों की व्यवस्था है उनको कठोर बनाया जाना चाहिए। और कारावास तथा अधिक जुर्माने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** मैं सरकार की स्थिति पहले ही समझा चुका हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** संशोधन संख्या २७ के अतिरिक्त अन्य सभी संशोधन मैं वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या २६, २८, २९ तथा ३० सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ विधयक में जोड़ दिया गया।

खंड ७--(झूठे बयानों के लिये जुर्माना)

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं अपने संशोधन संख्या ३१ और ३२ प्रस्तुत करता हूं।

केवल इस खण्ड को सरकार ने कारावास की व्यवस्था की है। परन्तु मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था भी बहुत कम है और इसको और कठोर बनाया जाना चाहिए।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३१ और ३२ मतादन के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १ अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जायें ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मनीपुर (मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री) करारोपण विधेयक

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री पर कर लगाने सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस समय मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों पर कर आसाम (मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री) करारोपण अधिनियम, १६३६ ही लागू है जिसको १६४० में भूतपूर्व मनीपुर दरबार ने वहां पर लागू किया था । परन्तु जब से यह लागू किया गया है तब से आसाम में तेलों की दरें काफी बढ़ गई है । आसाम में १६५५ में एक संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसके द्वारा मनीपुर में पहली ही दरों को स्थिर रखा गया था । वर्तमान विधेयक का यह उद्देश्य है कि एक तो इन दरों को मीट्रिक मापों के अनुसार कर दिया जाये तथा दूसरे करों को उचित रूप में बढ़ा दिया जाये । मनीपुर में आसाम की सभी दरों को तुरन्त लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है परन्तु हम धीरे धीरे ऐसा करना चाहते हैं और ऐसा करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया है ।

सामान्यतः वर्तमान विधेयक को १६५५ के आसाम अधिनियम का आधार बना कर पेश किया गया है परन्तु सुधार हेतु उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं । मैं समझता हूं कि आरम्भ में इतना कह देना पर्याप्त है और मैं विधेयक में को सभा में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री पर कर लगाने सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : इसके खण्डों पर कोई संशोधन नहीं प्रस्तुत किए गए हैं इसलिए सभी खण्डों को एक साथ मतदान के लिए रखा जाता है :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ३७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २ से ३७ विधेयक मे जोड़ दिए गिए ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९६२/१६ अग्रहायण १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९६२
१५ अग्रहायण, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
अविम्लबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	१८८३—८६

श्री एस० एम० बनर्जी ने दिल्ली तथा अन्य स्थानों में मिट्टी के तेल की कथित कमी, अनुचित संग्रह और चोर-बाजारी की ओर खान और ईंधन मन्त्री का ध्यान दिलाया।

खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८८६-८७

(१) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५६४ में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

(२) संविधान के अनुच्छेद ३५९ के खण्ड (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५९४ की एक प्रति जिसमें उक्त अनुच्छेद के खण्ड (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक ३० अक्तूबर, १९६२ के आदेश संख्या जी० एस० आर० १४१८ के संशोधन प्रकाशित किये गये हैं।

(३) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५८४।

(दो) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५८५।

(४) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र नियम,

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

१९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४५८ ।

(दो) दिनांक १ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४६१ ।

(तीन) दिनांक २१ नवम्बर १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५९० ।

(५) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५०९ में प्रकाशित लोक ऋण (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश १८८८

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा अपनी ३ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २९ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये भाण्डागार निगम विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी ४ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में पूर्वी पंजाब वैद्य और हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६२ को पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . १८८८

सचिव ने पूर्वी पंजाब वैद्य और हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६२ को राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा पटल पर रखा ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य १८८८-८९

गृह-कार्य मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अक्तूबर, १९६२ में गोहाटी में बुधवीरसिंह नामक एक व्यक्ति को कथित जासूसी के लिये गिरफ्तार किये जाने और बाद में जमानत पर रिहा किये जाये के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित १८८९-९०

(१) श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(२) श्रम और रोजगार तथा योजना मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) ने प्रस्ताव किया कि व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबंध) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत

विषय **पृष्ठ**

विधेयक पारित--(**क्रमशः**)

हुआ। खण्डवार विचार करने के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया।

(३) परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) ने प्रस्ताव किया कि मनीपुर (मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री) करारोपण विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९६२/१६ अग्रहायण १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

(१) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक और (२) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक पर विचार और पारित किया जाना तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार।

GIPND (D) LS III—2422 (Ai) LSD—12-1-63—140.

पृष्ठ

श्री बूटा सिंह १६१६-१
श्री अचल सिंह १६१७-१८
श्री मणियंगाडन् १६१८
श्री स० मो० बनर्जी १६१८
श्री बड़े १६१८-२१
डा० मा० श्री अणे १६२१-२२
श्री वारियर १६२२
श्री श्याम लाल सर्राफ १६२२-२३
श्री मोहसिन १६२३-२५
खंड २ से ८ और १ . . . . . . १६२६-३४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६२६-३४
श्री चे० रा० पटटाभिरामन् १६२६-३४
मनीपुर (मोटर स्पिरिट और स्नेहिक तलों की बिक्री) करारोपण विधेयक—
श्री राज बहादुर १६३४-३५
दैनिक संक्षेपिका १६३५-३८

PLS. 41. XI. 22. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय ,को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।